प्रगति प्रतिवेदन

2025-26

ध्येय : खाद्य सुरक्षा, उपभोक्ता संरक्षण- संवर्द्धन

सत्यमेव जयते

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग
राजस्थान

उपभोक्ता मामले विभाग
राजस्थान

RC SC

राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक
आपूर्ति निगम लिमिटेड, जयपुर

विभागीय वेबसाईट : https://food.rajasthan.gov.in

सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

प्रगति प्रतिवेदन
2025–26

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

उपभोक्ता मामले विभाग

राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड

अनुक्रमणिका

क्र.स.	विवरण	पृष्ठ संख्या
	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग	
1	विभाग की स्थापना एवं संगठनात्मक सरंचना	2-3
2	कार्य संपादन एवं पदों की स्थिति	4-6
3	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013	7-15
4	सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं कम्प्यूट्रीकरण	16-18
5	एलपीजी	19
6	समर्थन मूल्य के अन्तर्गत खरीद एवं मूल्य प्रबोधन केन्द्र(Price Monitoring Centre)	20
7	उचित मूल्य दुकानों के आवंटन हेतु दिशा–निर्देश	
	I आवंटन प्रक्रिया	21-26
	II सतर्कता समितियां	27-29
	III खाद्य सुरक्षा संबंधित कार्य	30-34
11	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005	35
12	लोक सेवाओं के प्रदान करने की गारन्टी अधिनियम, 2011	36
13	विभाग की महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ	37-41
14	वास्तविक आय–व्यय एवं संशोधित प्रावधान	42-47
	उपभोक्ता मामले विभाग	
14	उपभोक्ता मामले विभाग	48-61
	I विभाग की स्थापना एवं कार्य संपादन	49
	II संगठनातमक ढ़ांचा एवं पदों की स्थिति	49-50
	III उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 का क्रियान्वयन	51
	IV उपभोक्ता विषयक योजनाऐं एवं प्रचार–प्रसार	52-57
	V विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 का क्रियान्वयन	58-61
	राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि.	
15	राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि.	62-67
	I निगम की स्थापना, अंश पूंजी, संचालक मण्डल कार्य एवं उद्वेश्य	62
	II निगम में स्वीकृत पदों की स्थिति	63
	III निगम के द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न एवं चीनी के थोक विक्रेता का कार्य	64
	IV गैर पीडीएस वस्तुओं का विपणन कार्य, अन्नपूर्णा भण्डार, नॉन डीसीपी योजना, निगम के विगत छः वर्षो का वित्तीय परिणाम	65-66
	V पॉस मशीन के रखरखाव का कार्य	67
	IV राशन की दुकानों हेतु Electronic Weight Manchine and IRIS Machine का क्रय	67

प्रस्तावना

क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है। विषम भौगोलिक परिस्थितियों के इस प्रदेश में अधिकांश भाग रेगिस्तानी और कम वर्षा वाला है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या 685.48 लाख है। इस जनसंख्या में 515.00 लाख ग्रामीण और 170.48 लाख शहरी क्षेत्र की जनसंख्या सम्मिलित है। राज्य के सभी श्रेणी के परिवारों, यथा– बीपीएल, एपीएल, अन्त्योदय आदि के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली का क्रियान्वयन राज्य में आरम्भ से ही किया जा रहा है।

देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रारम्भ 1960 के दशक में हुई खाद्यान्नों की अत्यधिक कमी वाले शहरी क्षेत्रों में खाद्यान्नों का वितरण करने पर ध्यान केन्द्रित करके हुआ था। इसके बाद हरित क्रांति के अंतर्गत राष्ट्रीय कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई, इसलिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार 1970 और 1980 के दशकों में आदिवासी ब्लॉकों और अत्यधिक गरीबी वाले क्षेत्रों के लिए किया गया। वर्ष 1992 तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली विशेष लक्ष्यों के बगैर सभी उपभोक्ताओं के लिए एक सामान्य पात्रता योजना थी। सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली जून, 1992 में सम्पूर्ण देश में प्रारम्भ की गयी थी। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली जून, 1997 में प्रारंभ की गई थी।

वर्तमान में भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत प्रदेश में खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित सभी श्रेणी के पात्र लाभार्थियों को निःशुल्क गेहूं उपलब्ध कराया जा रहा है।

स्थापना एवं संगठनात्मक संरचना

राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रबंधन एवं उचित मूल्यों पर खाद्यान्नों का सफलतापूर्वक वितरण सुनिश्चित करने के लिए विभाग की स्थापना की गई। पिछले कुछ वर्षों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली देश में खाद्यान्न अर्थव्यवस्था के प्रबंधन के लिए सरकार की नीति का महत्वपूर्ण अंग बन गई है। इसके अन्तर्गत केन्द्र सरकार ने भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से खाद्यान्नों की खरीद, भंडारण, ढुलाई और बल्क आवंटन करने की जिम्मेदारी ले रखी है। राज्य में राशन सामग्री के आवंटन, राशन कार्ड जारी करने और उचित मूल्य दुकानों के कार्यकलापों का पर्यवेक्षण करने सहित प्रचलनात्मक जिम्मेदारी खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की है।

राज्य में वर्ष 1964 तक खाद्य एवं सहायता विभाग एक संयुक्त विभाग के रूप में कार्यरत रहे। वर्ष 1964 से सहायता विभाग से अलग होकर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग पृथक से अस्तित्व में आया। भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम,1986 लागू करने के साथ ही राज्य में भी वर्ष 1987 से विभाग द्वारा उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित कार्य भी सम्पादित किए जा रहे हैं। दिनांक 21 जून, 2001 को विभाग का नाम खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग किया गया। कालान्तर में मंत्रीमण्डल की आज्ञा 205/2013 के क्रम में अंकित खाद्य,नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग से ''उपभोक्ता मामले विभाग'' को पृथक किये जाने के लिए राजस्थान कार्यविधि नियमों में संशोधन प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया व अनुमोदित प्रारूप के अनुसार मंत्रीमण्डल सचिवालय द्वारा क्रमांक एफ 27(1)केबिनेट/2013 दिनांक 26.09.2013 को अधिसूचना जारी की जा चुकी है।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

विभागीय संगठनात्मक संरचना

माननीय मंत्री, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग

↓

अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव

↓

विशिष्ट शासन सचिव

↓

अतिरिक्त खाद्य आयुक्त एवं पदेन निदेशक, उपभोक्ता मामले विभाग

↓

- वित्तीय सलाहकार
- संयुक्त आयुक्त
- उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव (प्रथम)/ उपायुक्त एवं उप शासन सचिव (द्वितीय)
- उपायुक्त तृतीय/ चतुर्थ/ पंचम/ षष्टम
- सहायक आयुक्त प्रथम/ द्वितीय

↓

- सहायक निदेशक (सांख्यिकी)
- एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (उपनिदेशक)
- उपविधि परामर्शी
- सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी
- लेखाधिकारी
- सहायक लेखाधिकारी

↓

- जिला रसद अधिकारी सतर्कता/ प्रोक्योरमेंट/रिट्स/ खाद्य सुरक्षा
- संस्थापन अधिकारी
- प्रशासनिक अधिकारी
- प्रवर्तन अधिकारी
- प्रवर्तन निरीक्षक

विभाग के कार्य एवं कार्य संपादन

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा निम्नलिखित कार्य संपादित किये जाते हैं :–

विभाग के कार्य

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन एवं क्रियान्वयन।

केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य पर भारतीय खाद्य निगम के लिए राज्य एजेन्सियों के मार्फत खाद्यान्नों की खरीद।

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों का प्रवर्तन।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 का क्रियान्वयन एवं उपभोक्ता आन्दोलन को गति देने के लिए विभिन्न गतिविधियो का क्रियान्वयन।

कार्य संपादन

भारत सरकार से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वितरण योग्य आवश्यक वस्तुओं का राज्य की मांग के अनुरूप आवंटन प्राप्त करना एवं आवंटित वस्तुओं को उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से निर्धारित दरों पर उपभोक्ताओं को वितरण कराना।

समर्थन मूल्य नीति के अन्तर्गत खाद्यान्नों यथा– गेंहूँ, जौ, मक्का, बाजरा व धान (पैडी) की कीमत निर्धारित मूल्यों से कम होने पर किसानों के हित में भारत सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य पर भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से क्रय करने में सहयोग करना।

आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 एवं इसके अन्तर्गत प्रसारित विभिन्न आदेशों के प्रवर्तन व कालाबाजारी निवारण एवं आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 के आदेश के अन्तर्गत जमाखोरी व कालाबाजारी के विरूद्ध कार्यवाही करना।

उपभोक्ता हितों के संरक्षण के लिए गठित राज्य आयोग एवं जिला मंचों की प्रशासनिक व्यवस्था संबंधी कार्य करना। उपभोक्ता आंदोलन को गति देने संबंधी कार्य करना।

विभाग में पदों की स्थिति

खाद्य विभाग मुख्यालय स्तर पर संस्थापन (राजपत्रित)

क्रम संख्या	पदनाम	माह दिसम्बर, 2025 में पदों की स्थिति		
		स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
Budget Head 3456-00-001-01-04 राज्य खाद्य आयोग में				
01	अतिरिक्त खाद्य आयुक्त	01	01	00
Budget Head 3456-00-001-(01)-(01) मुख्यालय कर्मचारी वर्ग				
1	वित्तीय सलाहकार	01	01	00
2	संयुक्त आयुक्त (खाद्य)	01	00	01
3	उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव	01	00	01
4	उपायुक्त एवं उप शासन सचिव	01	01	00
5	उपायुक्त (खाद्य)	04	03	01
6	सहायक आयुक्त (RAS)	01	01	00
7	सहायक आयुक्त (खाद्य)	01	01	00
8	उप विधि परामर्शी	01	01	00
9	एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (उप निदेशक)	01	01	00
10	वरिष्ठ निजी सचिव	01	01	00
11	निजी सचिव	01	00	01
12	लेखाधिकारी	01	01	00
13	सहायक निदेशक (सांख्यिकी)	02	02	00
14	प्रोग्रामर	02	02	00
15	जनसम्पर्क अधिकारी	01	01	00
16	संस्थापन अधिकारी	03	03	00
17	प्रशासनिक अधिकारी	03	03	00
18	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I	01	01	00
19	अतिरिक्त निजी सचिव	01	01	00
20	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	04	04	00
Budget Head 3456-00-001-(01)-(02) मुख्यालय कर्मचारी वर्ग				
21	जिला रसद अधिकारी	04	03	01
	कुल योगः–	37	32	05

खाद्य विभाग मुख्यालय स्तर पर संस्थापन (अराजपत्रित)

क्रम संख्या	पदनाम	माह दिसम्बर, 2025 में पदों की स्थिति		
		स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
Budget Head 3456-00-001-(01)-(01) मुख्यालय कर्मचारी वर्ग				
1	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	01	01	00
2	प्रवर्तन अधिकारी	02	02	00
3	निजी सहायक	01	00	01
4	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II	03	03	00
5	सहायक प्रोग्रामर	01	01	00
6	प्रवर्तन निरीक्षक	02	01	01
7	कनिष्ठ लेखाकार	05	05	00
8	शीघ्रलिपिक	02	02	00
9	सहायक प्रशासनिक अधिकारी (सहायक कार्यालय अधीक्षक)	06	06	00
10	वरिष्ठ सहायक	16	06	10
11	कनिष्ठ सहायक	28	14	14
12	वाहन चालक (प्रतिनियुक्ति पर)	01	00	01
13	जमादार	02	00	02
14	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	18	08	10
कुल योग		88	49	39
महायोग		125	80	45

क्रम संख्या	पदनाम	माह दिसम्बर, 2025 में पदों की स्थिति		
		स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
Budget Head 3456-00-001-02-01 राज्य खाद्य आयोग (अराजपत्रित)				
1	अतिरिक्त निजी सचिव	01	00	01
2	प्रवर्तन निरीक्षक	04	00	04
3	सूचना सहायक	05	04	01
4	वाहन चालक	02	00	02
योग		12	04	08

जिला स्तर पर

क्र. सं	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त पदों की संख्या
1	उपायुक्त (उ.मा.)	02	01	01
2	उपायुक्त (राज्य खाद्य आयोग)	01	00	01
3	सहायक आयुक्त	06	02	04
4	जिला रसद अधिकारी (RAS)	10	05	05
5	जिला रसद अधिकारी	44	43	01
6	प्रवर्तन अधिकारी (उ.मा.)	01	02	00
7	प्रवर्तन अधिकारी (Non TSP)	102	105	00
8	प्रवर्तन अधिकारी (TSP)	09	06	03
9	प्रवर्तन निरीक्षक (Non TSP)	288	121	167
10	प्रवर्तन निरीक्षक (TSP)	29	14	15
11	प्रशासनिक अधिकारी	06	00	06
12	अति. प्रशासनिक अधिकारी (Non TSP)	17	00	17
13	अति. प्रशासनिक अधिकारी (TSP)	01	00	01
14	सहा. प्रशासनिक अधिकारी (Non TSP)	39	02	37
15	सहा. प्रशासनिक अधिकारी (TSP)	04	00	04
16	वरिष्ठ सहायक (Non TSP)	48	01	47
17	वरिष्ठ सहायक (TSP)	05	00	05
18	कनिष्ठ सहायक (Non TSP)	87	53	34
19	कनिष्ठ सहायक(TSP)	10	08	02
20	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (Non TSP)	99	02	97
21	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी(TSP)	13	00	13
	कुल पद	821	365	456

नोटः–

1. कार्यालय जिला रसद अधिकारी में स्वीकृत मंत्रालयिक संवर्ग के रिक्त पदों के विरूद्ध वर्तमान में संबंधित जिले के राजस्व विभाग के कर्मचारी कार्यरत है।
2. नवसृजित जिले समाप्त होने के फलस्वरूप क्रम संख्या 06 में स्वीकृत 01 पदों के विरुद्ध 02एवं क्रम संख्या 07में स्वीकृत 102 पदों के विरुद्ध 105 अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013

राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत राज्य में दिनांक 02 अक्टूबर, 2013 को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का शुभारम्भ किया गया। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत शहरी क्षेत्र में 53 प्रतिशत जनसंख्या तथा ग्रामीण क्षेत्र में 69.09 प्रतिशत जनसंख्या को खाद्य सुरक्षा प्रदान करते हुए राज्य के समस्त अन्त्योदय परिवारों एवं अन्य पात्र परिवारों हेतु प्रतिमाह 2,30,818.990 मै. टन गेहूं का आवंटन किया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत चयनित पात्र परिवारों/लाभार्थियों को "खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के संबंध में" राजस्थान खाद्य सुरक्षा नियम, 2023 जारी अधिसूचना दिनांक 28 जून, 2023 के भाग–II में उल्लेखित अनुसूची–1 में अंकितानुसार खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के संबंध में निर्धारित मापदण्ड निम्नानुसार है :–

राजस्थान खाद्य सुरक्षा नियम, 2023 अधिसूचना दिनांक 28 जून, 2023,

अनुसूची–1

समावेशन सूची

क.सं.	शहरी क्षेत्र समावेशन (Inclusion) प्राथमिकता श्रेणी	ग्रामीण क्षेत्र समावेशन (Inclusion) प्राथमिकता श्रेणी
1	अन्त्योदय परिवार	अन्त्योदय परिवार
2	बीपीएल परिवार	बीपीएल परिवार
3	स्टेट बीपीएल परिवार	स्टेट बीपीएल परिवार
4	अन्नपूर्णा योजना के लाभार्थी	अन्नपूर्णा योजना के लाभार्थी

5	ऐसे परिवार जो उपरोक्त योजनाओं में शामिल नहीं है तथा निम्न योजनाओं/वर्गों में शामिल हैं, उन्हें खाद्य सुरक्षा का लाभ उपलब्ध कराया जायेगा :– A. मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान योजना B. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना C. मुख्यमंत्री एकल नारी योजना D. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना E. मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन पेंशन योजना	.ऐसे परिवार जो उपरोक्त योजनाओं में शामिल नहीं है तथा निम्न योजनाओं/वर्गों में शामिल हैं, उन्हें खाद्य सुरक्षा का लाभ उपलब्ध कराया जायेगा :– A. मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान योजना B. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना C. मुख्यमंत्री एकल नारी योजना D. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना E. मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन पेंशन योजना
	F. इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना G. मुख्यमंत्री निराश्रित पुनर्वास योजना H. सहरिया एवं कथौडी जनजाति परिवार I. कानूनी रूप से निर्मुक्त बंधुआ मजदूर परिवार J. वरिष्ठ नागरिक जिनका स्वतंत्र राशनकार्ड हो तथा आयु.सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा पेंशन योजना के निर्धारित आयु सीमा में हो बशर्ते exclusion (पात्र नहीं) शर्तो में न आते हो।	F. इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना G. महानरेगा में 2009–10 से किसी भी वर्ष में 100 दिन मजदूरी करने वाला परिवार H. मुख्यमंत्री निराश्रित पुनर्वास परिवार योजना I. सहरिया एवं कथौडी जनजाति परिवार J. कानूनी रूप से निर्मुक्त बंधुआ मजदूर परिवार K. भूमिहीन कृषक L. सीमान्त कृषक M. वरिष्ठ नागरिक जिनका स्वतंत्र राशनकार्ड हो तथा आयु.सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा पेंशन योजना के निर्धारित आयु सीमा में हो बशर्ते exclusion (पात्र नहीं) शर्तो में न आते हो।
6	मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष	मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष
7	समस्त सरकारी हॉस्टल में अन्तःवासी (समाज कल्याण, जनजाति विभाग, शिक्षा विभाग, अल्पसंख्यक मामलात विभाग एवं सरकारी कॉलेज एवं स्कूलों के हॉस्टल)	समस्त सरकारी हॉस्टल में अन्तःवासी (समाज कल्याण, जनजाति विभाग, शिक्षा विभाग, अल्पसंख्यक मामलात विभाग एवं सरकारी कॉलेज एवं स्कूलों के हॉस्टल)

8	एकल महिलाएँ	एकल महिलाएँ
9	श्रम विभाग में पंजीकृत निर्माण श्रमिक	श्रम विभाग में पंजीकृत निर्माण श्रमिक
10	पंजीकृत अनाथालय एवं वृद्धाश्रम एवं कुष्ठ आश्रम	पंजीकृत अनाथालय एवं वृद्धाश्रम एवं कुष्ठ आश्रम
11	कच्ची बस्ती में निवास करने वाले सर्वेक्षित परिवार	–
12	कचरा बीनने वाले परिवार	कचरा बीनने वाले परिवार
13	शहरी घरेलू कामकाजी महिलाएँ	–
14	गैर सरकारी सफाई कर्मी	–
15	स्ट्रीट वेण्डर	–
16	उत्तराखण्ड त्रासदी वाले परिवार	उत्तराखण्ड त्रासदी वाले परिवार
17	साईकिल रिक्शा चालक	साईकिल रिक्शा चालक
18	पोर्टर (कुली)	पोर्टर (कुली)
19	कुष्ठ रोगी एवं कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति	कुष्ठ रोगी एवं कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति
20	घुमन्तु व अर्द्ध घुमन्तु जातियां जैसे वनवागरिया, गाडिया लुहार, भेडपालक	घुमन्तु व अर्द्ध घुमन्तु जातियां जैसे वनवागरिया, गाडिया लुहार, भेडपालक
21	वनाधिकार पत्र धारी परम्परागत वनवासी	वनाधिकार पत्र धारी परम्परागत वनवासी
22	–	लघु कृषक
23	आस्था कार्डधारी परिवार	आस्था कार्डधारी परिवार
24	अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 तथा संशोधित अधिनियम, 2015 के अन्तर्गत पीडित व्यक्ति	अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 तथा संशोधित अधिनियम, 2015 के अन्तर्गत पीडित व्यक्ति
25	एड्स (उपार्जित प्रतिरक्षा अभाव जनित संलक्षण रोग) से ग्रसित व्यक्ति एवं उनका परिवार	एड्स (उपार्जित प्रतिरक्षा अभाव जनित संलक्षण रोग) से ग्रसित व्यक्ति एवं उनका परिवार

26	सिलिकोसिस रोग से ग्रसित व्यक्ति एवं परिवार	सिलिकोसिस रोग से ग्रसित व्यक्ति एवं परिवार
27	बहु–विकलांग एवं मंदबुद्धि व्यक्ति। (21 श्रेणियाँ)	बहु–विकलांग एवं मंदबुद्धि व्यक्ति। (21 श्रेणियाँ)
28	पालनहार योजना अन्तर्गत लाभार्थी बच्चे व पालनहार परिवार	पालनहार योजना अन्तर्गत लाभार्थी बच्चे व पालनहार परिवार
29	डायन प्रताडना निवारण अधिनियम, 2015 के अन्तर्गत पीडित महिलाएँ	डायन प्रताडना निवारण अधिनियम, 2015 के अन्तर्गत पीडित महिलाएँ
30	निसंतान वृद्ध दंपति	निसंतान वृद्ध दंपति
31	वृद्ध दंपति जिनके केवल दिव्यांग संतान है	वृद्ध दंपति जिनके केवल दिव्यांग संतान है
32	ट्रांसजेण्डर	ट्रांसजेण्डर

निष्कासन सूची

शहरी क्षेत्र निष्कासन (Exclusion) श्रेणी (पात्र नहीं)	ग्रामीण क्षेत्र निष्कासन (Exclusion) श्रेणी (पात्र नहीं)
1. ऐसे परिवार, जिसका कोई भी एक सदस्य आयकर दाता हो। 2. ऐसे परिवार, जिसका कोई भी एक सदस्य सरकारी/ अर्द्धसरकारी/स्वायत्तशासी संस्थाओं में नियमित कर्मचारी/ अधिकारी हो अथवा 1 लाख रूपये वार्षिक से अधिक पेंशन प्राप्त करता हो। 3. ऐसे परिवार, जिसके किसी भी एक सदस्य के पास चार पहिया वाहन हो (एक वाणिज्यिक वाहन को छोडकर, जो कि जीविकोपार्जन के उपयोग में आता हो)। 4. नगर निगम/नगर परिषद क्षेत्र में 1000 वर्गफीट से अधिक क्षेत्रफल में निर्मित पक्का आवासीय/व्यवसायिक परिसरधारी परिवार (कच्ची बस्ती छोडकर) 5. नगर पालिका क्षेत्र में 1500 वर्गफीट से अधिक क्षेत्रफल में निर्मित पक्का आवासीय/व्यावसायिक परिसरधारी परिवार (कच्ची बस्ती को छोडकर) 6. एक लाख रूपये वार्षिक से अधिक आय सीमा वाले परिवार। 7. ऐसे परिवार, जिसके सभी सदस्यों के स्वामित्व में कुल कृषि भूमि लघु कृषक हेतु निर्धारित सीमा से अधिक हो।	1. ऐसे परिवार, जिसका कोई भी एक सदस्य आयकर दाता हो। 2. ऐसे परिवार, जिसका कोई भी एक सदस्य सरकारी/अर्द्धसरकारी/ स्वायत्तशासी संस्थाओं में नियमित कर्मचारी/ अधिकारी हो अथवा 1 लाख रूपये वार्षिक से अधिक पेंशन प्राप्त करता हो। 3. ऐसे परिवार, जिसके किसी भी एक सदस्य के पास चार पहिया वाहन हो (ट्रेक्टर एवं एक वाणिज्यिक वाहन को छोडकर, जो कि जीविकोपार्जन के उपयोग में आता हो)। 4. ऐसे परिवार, जिसके सभी सदस्यों के स्वामित्व में कुल कृषि भूमि लघु कृषक हेतु निर्धारित सीमा से अधिक हो। 5. ऐसे परिवार, जिसके सभी सदस्यों की कुल आय एक लाख रूपये वार्षिक से अधिक हो। 6. ऐसा परिवार जिसके पास ग्रामीण क्षेत्र में 2000 वर्गफीट से अधिक स्वयं के रिहायश हेतु निर्मित पक्का मकान हो।

नोटः– आम–जन की जानकारी हेतु राजस्थान खाद्य सुरक्षा नियम, 2023 विभागीय वेबसाईट http://www.food.rajasthan.gov.in/ पर अपलोड कर दिया गया है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत भारत सरकार द्वारा प्राप्त गेहूं को खाद्य सुरक्षा सूची में चयनित अन्त्योदय परिवारों को 35 किलोग्राम प्रति परिवार एवं अन्य पात्र लाभार्थियों को 05 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिमाह नियमानुसार बायोमेट्रिक सत्यापन के पश्चात पॉस मशीनों के माध्यम से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत पात्र लाभार्थियों का जिलेवार विवरण **(स्थिति 31 दिसम्बर, 2025)** निम्नानुसार है :–

लाभार्थियों का जिलेवार विवरण (स्थिति 31 दिसम्बर, 2025)

Sr. No.	District Name	AAY		PHH		Total	
		Antodaya DRC	Antodaya Units	PHH DRC	PHH Units	Total NFSA DRC	Total NFSA Units
1	Ajmer	11535	36687	303369	1158580	314904	1195267
2	Alwar	11036	38929	293784	1286011	304820	1324940
3	Balotra	9083	29473	183720	797845	192803	827318
4	Banswara	42836	135807	327685	1228040	370521	1363847
5	Baran	45617	133214	202111	756533	247728	889747
6	Barmer	13692	42076	280716	1172407	294408	1214483
7	Beawar	12533	42351	191737	765277	204270	807628
8	Bharatpur	7698	30273	202945	915714	210643	945987
9	Bhilwara	23546	66716	370675	1323196	394221	1389912
10	Bikaner	10685	36670	266521	1164134	277206	1200804
11	Bundi	11841	35963	195471	736205	207312	772168
12	Chittaurgarh	26656	77616	242913	834718	269569	912334
13	Churu	21492	78862	287640	1289261	309132	1368123

14	Dausa	9590	33643	247621	1085399	257211	1119042
15	Deeg	6115	21837	153769	734381	159884	756218
16	Dhaulpur	8457	28763	177809	838126	186266	866889
17	Didwana-Kuchaman	7441	26517	277740	1191887	285181	1218404
18	Dungarpur	31060	105062	264490	1054533	295550	1159595
19	Ganganagar	10674	30102	296033	1104080	306707	1134182
20	Hanumangarh	12789	40898	230193	890815	242982	931713
21	Jaipur	10042	35026	619587	2512925	629629	2547951
22	Jaisalmer	5979	18220	100626	406780	106605	425000
23	Jalor	20847	76351	240492	1104432	261339	1180783
24	Jhalawar	16923	52440	272787	1027661	289710	1080101
25	Jhunjhunun	8653	32300	294281	1247092	302934	1279392
26	Jodhpur	5592	18696	386043	1631977	391635	1650673
27	Karauli	15243	53290	202124	918177	217367	971467
28	Khairthal-Tijara	4777	16533	131239	590116	136016	606649
29	Kota	8842	26220	248685	924094	257527	950314
30	Kotputli-Behror	5325	19419	194342	842981	199667	862400
31	Nagaur	8733	28984	284196	1148712	292929	1177696
32	Pali	12541	43471	232923	988588	245464	1032059
33	Phalodi	3030	10227	115436	506984	118466	517211
34	Pratapgarh	13357	36455	172620	604124	185977	640579
35	Rajsamand	17844	55282	186547	727566	204391	782848
36	Salumbar	12242	37998	109430	427198	121672	465196
37	Sawai Madhopur	14649	46506	214116	846465	228765	892971
38	Sikar	8025	28738	401701	1737985	409726	1766723
39	Sirohi	9806	32573	162372	673241	172178	705814

40	Tonk	15427	52604	240424	962207	255851	1014811
41	Udaipur	37556	122064	376201	1465372	413757	1587436
	Total	**589809**	**1914856**	**10183114**	**41621819**	**10772923**	**43536675**

★ पिछले पांच वर्षो में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत गेहूं के आवंटन एवं उठाव का विवरण निम्नानुसार है।

(मात्रा मै.टन में)

क्र.सं.	वर्ष	आवंटन	उठाव	प्रतिशत
1.	2020–21	2754125.914	2747337.621	99.75%
2.	2021–22	2583344.396	2545851.303	98.55%
3.	2022–23	2645921.761	2604685.407	98.44%
4.	2023–24	2665590.157	2575490.581	96.62%
5	2024–25	2605621.227	2558495.949	98.19%

अप्रेल, 2025 से दिसम्बर, 2025

क्र.सं.	नाम माह	आवंटन	उठाव	प्रतिशत
1.	अप्रेल, 2025	213432.838	202987.705	95.11%
2.	मई, 2025	230735.620	218601.690	94.74%
3.	जून, 2025	210392.840	201529.030	95.79%
4.	जुलाई, 2025	209289.057	202755.322	96.88%
5.	अगस्त, 2025	221166.736	209458.574	94.71%
6.	सितम्बर, 2025	220857.429	211320.515	95.68%
8.	अक्टूबर, 2025	220246.709	209459.922	95.10%
8.	नवम्बर, 2025	221026.390	210640.441	95.30%
9.	दिसम्बर, 2025	215119.363	206453.510	95.97%
	कुल	1962266.982	1873206.709	95.46%

वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा माह सितम्बर, 2016 से निरन्तर ऑनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से गेहूं का जिलेवार आवंटन किया जा रहा है। ऑनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से आवंटन करने के पश्चात खाद्यान्न वितरण में पारदर्शिता आई है। विभाग द्वारा ऑनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से उचित मूल्य दुकानवार गेहूं के आवंटन का खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की वेबसाइट food.rajasthan.gov.in पर भी पूर्ण रूप से प्रदर्शन किया जा रहा है।

राज्य सरकार द्वारा दिनांक 28.12.2017 को जारी अधिसूचना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा–15 की उपधारा (1) का प्रयोग करते हुए समस्त अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) को अपनी–अपनी अधिकारिता के जिले हेतु उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ जिला शिकायत निवारण अधिकारी के रूप में पदाभिहित किया गया है। ऐसे मामले जिनमें शिकायत जिला कलक्टर के विरूद्ध हो, उन मामलों के लिए संबंधित संभाग के संभागीय आयुक्त को, जिला शिकायत निवारण अधिकारी के रूप में पदाभिहित किया गया है।

वर्तमान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत वंचित पात्र व्यक्ति अपना नाम खाद्य सुरक्षा की सूचियों में शामिल कराने एवं खाद्य सुरक्षा की सूची में सम्मिलित अपात्र व्यक्ति को निष्कासित करने के लिए अपीलीय प्रक्रिया दिनांक 05.11.2015 से लागू है, आदेश दिनांक 02.08.2017 द्वारा उपखण्ड अधिकारी के साथ–साथ जिला रसद अधिकारी को भी अपीलीय अधिकारी नियुक्त किया गया है। इस प्रक्रिया का सरलीकरण करते हुए आदेश दिनांक 22.01.2025 द्वारा पात्र व्यक्ति विभाग द्वारा निर्धारित समावेशन पात्रता श्रेणी के आधारभूत दस्तावेज संलग्न कर संबंधित क्षेत्र के उपखण्ड अधिकारी/जिला रसद अधिकारी के समक्ष ई–मित्र के माध्यम से अथवा व्यक्तिशः ऑनलाईन अपील प्रस्तुत कर सकता है। यह एक सतत् प्रक्रिया है।

विभागीय अधिसूचना दिनांक 03 अप्रेल, 2025 द्वारा राजस्थान खाद्य सुरक्षा नियम, 2023 में आंशिक संशोधन करते हुए उपखण्ड अधिकारी/जिला रसद अधिकारी के साथ–साथ जिला कलक्टर को अपने अधिकार क्षेत्र में स्वयं या आवेदन मिलने पर समावेशन/निष्कासन मानदण्डों पर विचार कर किसी भी परिवार अथवा उसके सदस्यों को खाद्य सुरक्षा योजना में जोडने या हटाने के लिए अधिकृत किया गया है। साथ ही दस वर्ष से कम अथवा सत्तर वर्ष से अधिक के लाभार्थी को छोडकर अन्य चयनित लाभार्थियों द्वारा चयन से तीन माह भीतर ई–केवाईसी नहीं कराने की स्थिति में खाद्य सुरक्षा सूची से हटाने का प्रावधान किया गया है।

वर्तमान में माह नवम्बर, 2024 से 28 फरवरी, 2026 तक गिव अप अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत राजस्थान खाद्य सुरक्षा नियम, 2023 की अनुसूची–1 के अनुसार ऐसे परिवार, जिनमें– 1.कोई आयकर दाता हो, 2.कोई सदस्य सरकारी / अर्द्ध सरकारी / स्वायत्तशासी संस्थाओं में कर्मचारी / अधिकारी हो, 3.एक लाख से अधिक वार्षिक पारिवारिक आय हो, एवं 4.किसी सदस्य के पास चार पहिया वाहन हो (ट्रेक्टर आदि जिविकोपार्जन में प्रयुक्त वाहन को छोडकर) निष्कासन सूची में सम्मिलित है, को स्वविवेक से खाद्य सुरक्षा योजना से अपना नाम हटाने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि उनसे होने वाले रिक्त स्थान के विरूद्ध वास्तविक जरूरतमन्द परिवारों को खाद्य सुरक्षा का लाभ प्रदान किया जा सकें।

आवश्यक वस्तुओं का आवंटन, मापदण्ड एवं मूल्य

राज्य में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत विभिन्न श्रेणी के लाभार्थियों को निम्नानुसार खाद्यान्न एवं अन्य सामग्री उपलब्ध करायी जा रही है :–

1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत ''अन्त्योदय परिवारों'' को प्रतिमाह 35 किलोग्राम गेहूं प्रति परिवार तथा ''अन्य पात्र लाभार्थियों'' को 05 किलोग्राम गेहूं प्रतिमाह वितरण करवाया जाकर लाभान्वित कराया जा रहा है।

2. बांरा जिले के सहरिया एवं उदयपुर जिले के कथौडी एवं खैरवा जनजाति के परिवारों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 35 किलों गेहूं प्रतिमाह प्रति परिवार निःशुल्क वितरण किया जा रहा है।

नोटः– भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत माह जनवरी, 2023 से दिसम्बर, 2028 तक खाद्यान्न (गेहूं) निःशुल्क आवंटित किये जाने के फलस्वरूप प्रदेश में खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित सभी श्रेणी के पात्र लाभार्थियों को निःशुल्क गेहूं उपलब्ध कराया जा रहा है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रमुख रूप से निम्न उद्वेश्य हैं :–

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राज्य में ई–मित्र के माध्यम से राशनकार्ड के विकल्प के रूप मे आयोजना विभाग द्वारा जनाधार कार्ड बनाये जा रहे है। राशनकार्ड के समस्त लाभ जनाधार कार्ड द्वारा दिये जाने है।

आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों को स्थिर रखना।

कुछ मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से समाज के कमजोर वर्गो को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राज्य में गेहूँ, उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से वितरित किये जाते हैं। उक्त वस्तुएं निर्धारित मात्रा में निश्चित मूल्य लेकर उपभोक्ताओं को राशन कार्ड के आधार पर दी जाती हैं। अगस्त, 2018 से नवीन लागू सप्लाई चेन मैनेजमेन्ट व्यवस्था के अन्तर्गत उचित मूल्य दुकानवार गेहूँ आवंटन ऑनलाईन रीति से राज्य स्तर से किया जा रहा है।

वर्तमान में राज्य में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना संचालित की जा रही है। योजना के अंतर्गत सभी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में पात्र लाभार्थियों की 98.54% सीडिंग की जा चुकी है। राज्य में वर्तमान में एनएफएसए में 1,07,72,234 राशन कार्ड और 4,35,23,136 यूनिट हैं। इनमें से 1,07,25,286 राशन कार्ड व 4,28,87,167 यूनिट की आधार सीडिंग की जा चुकी है। शेष की प्रक्रिया चालू है।

वर्तमान में दिनांक 01.01.2026 तक राज्य में 27494 दुकाने संचालित हैं। दुकानों का जिलेवार विवरण निम्नानुसार है :–

क्रसं.	नाम जिला	जिलेवार स्थापित उचित मूल्य दुकानों की संख्या
I	II	III
1	अजमेर	841
2	अलवर	767
3	बालोतरा	401
4	बांसवाड़ा	724
5	बारां	663
6	बाड़मेर	686
7	ब्यावर	453
8	भरतपुर	584
9	भीलवाड़ा	963
10	बीकानेर	994
11	बूंदी	492
12	चित्तौड़गढ़	723
13	चूरू	994
14	दौसा	790
15	डीग	443
16	धौलपुर	466
17	डीडवाना–कुचामन	640
18	डूंगरपुर	594
19	गंगानगर	868
20	हनुमानगढ़	689
21	जयपुर	1748
22	जैसलमेर	336
23	जालोर	676
24	झालावाड़	643
25	झुंझुनूं	804
26	जोधपुर	1020
27	करौली	575
28	खैरथल–तिजारा	402
29	कोटा	660
30	कोटपूतली–बहरोड़	449
31	नागौर	736
32	पाली	646
33	फलोदी	296
34	प्रतापगढ़	361

35	राजसमंद	539
36	सलूंबर	261
37	सवाई माधोपुर	605
38	सीकर	983
39	सिरोही	469
40	टोंक	585
41	उदयपुर	925
	योग	27494

माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा के क्रम में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के समस्त लाभ जन आधार कार्ड से दिए जाने के निर्देशों के क्रम में आयोजना विभाग द्वारा राशनकार्डों की जनाधार कार्ड के साथ मैपिंग की जा रही है। उक्त कार्य 98.54 प्रतिशत तक पूर्ण किया जा चुका है। शीघ्र ही राशनकार्ड जनाधार कार्ड से प्रतिस्थापित हो जायेगा।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुदृढीकरण हेतु राज्य सरकार की प्रतिबद्धता एवं माननीय उच्चतम न्ययालय के निर्देशों की अनुपालना में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण के कार्य के अन्तर्गत राज्य में उचित मूल्य दुकानों, गोदामों एवं थोक विक्रेताओं का डेटाबेस कम्प्यूटरीकृत किया जा चुका है। कम्प्यूटरीकरण के अन्तर्गत आवश्यक वस्तुओं के आवंटन– उठाव, आपूर्ति एवं वितरण व्यवस्था के साथ ही राज्य एवं जिला मुख्यालयों को भी कम्प्यूटरीकृत किया जा रहा है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुदृढीकरण हेतु कम्प्यूटरीकरण योजना के अन्तर्गत राज्य में डिजिटाईज्ड राशन कार्ड बनाने का कार्य किया जा रहा है। 01 अप्रेल 2015 से नवीन/डुप्लिकेट राशन कार्ड बनाने एवं राशनकार्ड में सदस्यों के नाम जोड़ने, घटाने एवं त्रुटि सुधार का कार्य ई–मित्र के माध्यम से किया जा रहा है । नवीन डिजिटाईज्ड राशनकार्ड बनाने के कार्य को त्वरित गति से निपटाने के लिये समस्त जिला मुख्यालयों पर स्थित नगर परिषद/नगर पालिका क्षेत्रों में प्रवर्तन अधिकारियों को प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधिकृत किये जाने की अधिसूचना दिनांक 22.06.2015 तथा प्रवर्तन निरीक्षकों को प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधिकृत किये जाने की अधिसूचना दिनांक 27.07.2015 को जारी की गई।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली का End to End Computerization के अन्तर्गत राज्य की उचित मूल्य की दुकानों पर POS मशीनें स्थापित कर उपभोक्ताओं का राशन सामग्री का वितरण किया जा रहा है। पॉस मशीनों का उचित मूल्य की दुकानों पर वार्षिक रख–रखाव/रिप्लेसमेंट की कार्यवाही हेतु राजस्थान

राज्य खाद्य आपूर्ति निगम लिमिटेड के आदेश दिनांक 02.09.2021 द्वारा संबंधित फर्मो को निर्देशित किया जा चुका है। राज्य की 27494 उचित मूल्य की दुकानों पर पॉस मशीनें स्थापित कर उपभोक्ताओं को बायोमैट्रिक सत्यापन के उपरान्त राशन सामग्री का वितरण किया जा रहा है।

भारत सरकार द्वारा One Nation One Ration Card योजना के तहत पूरे देश में एक ही राशनकार्ड लागू कर (जिसमें कोई लाभार्थी पूरे देश की किसी भी उचित मूल्य की दुकान से राशन प्राप्त कर सकें) इस दिशा में समस्त राज्यों के मध्य Inter State Portability प्रारम्भ की गई है, जिसमें सितम्बर, 2019 से 31.12.2025 तक 7,53,637 ट्रांजेक्शन किये जा चुके है। राज्य सरकार द्वारा इस हेतु राशन कार्ड का Data भारत सरकार को Share किया जा चुका है।

एलपीजी

रसोई गैस सिलेण्डर सब्सिडी योजनान्तर्गत जरूरतमंद परिवारों की महिलाओं को सम्बल प्रदान करने के लिये प्रधानमंत्री उज्जवला योजना में शामिल परिवार तथा चयनित बीपीएल परिवारों को 450 रूपये मात्र में 1 जनवरी 2024 से एलपीजी गैस सिलेण्डर उपलब्ध कराया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा संख्या 276.00.00 वर्ष 2024–25 में उक्त योजना का दायरा बढाते हुये सभी राशन का गेहूं प्राप्त करने वाले परिवार अर्थात एनएफएसए परिवारों को 450 रूपये में घरेलू रसोई गैस सिलेण्डर दिनांक 01.09.2024 से उपलब्ध करवाया जाना है। योजनान्तर्गत माह जनवरी 2024 से दिसम्बर 2025 तक लाभार्थियों द्वारा 5.40 करोड़ गैस सिलेण्डर रिफलिंग करवाये जाने पर 991.20 करोड़ रूपये की सब्सिडी प्रदान की जा चुकी है।

समर्थन मूल्य के अन्तर्गत खरीद

किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य प्राप्त हो व अनुचित व्यापारिक प्रवृतियों से किसानों की सुरक्षा की जावें, इसी दृष्टिकोण के मद्नेजर भारत सरकार द्वारा समय–समय पर कृषि जिन्सों के समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। विभाग द्वारा भारतीय खाद्य निगम के लिए राज्य क्रय एजेन्सियों के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न जिन्सों की खरीद (प्रोक्योरमेंट) की जाती है।

विभाग द्वारा रबी विपणन सीजन 2025–26 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त **"राजस्थान कृषक समर्थन योजनान्तर्गत"** गेहूँ खरीद का कार्य दिनांक 10.03.2025 से 30.06.2025 तक पूर्ण कर 21.37 लाख मीट्रिक टन गेहूँ की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीद करके 150 रूपए प्रति क्विंटल की दर से 320.50 करोड़ रूपए बोनस राशि का भुगतान कर 1 लाख 72 हजार से अधिक किसानों को लाभान्वित किया गया है।

प्रदेश में रबी विपणन सीजन 2023–24, 2024–25 व 2025–26 में भारत सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की गई गेंहू खरीद का विवरण निम्नानुसार है :–

वर्ष	गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य (प्रति क्विंटल में)	गेहूँ उपार्जन की मात्रा (मैट्रिक टन में)	लाभान्वित किसान
2023-24	2125	4,37,736	36,409
2024-25	2275 (Plus Bonus@125/-)	12,05,240	94,694
2025-26	2425 (Plus Bonus@150/-)	21,36,682	1,72,679

गेंहू खरीद केन्द्रों का विभागीय निरीक्षण

मूल्य प्रबोधन केन्द्र (Price Monitoring Centre)

आवश्यक वस्तुओं के बाजार भावों पर नियंत्रण हेतु आरम्भ में राज्य के 07 संभागीय जिलों यथा जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर, बीकानेर एवं भरतपुर में मूल्य प्रबोधन केन्द्र (Price Monitoring Centre) स्थापित थे।

वर्तमान में आवश्यक वस्तुओं के बाजार भावों को और अधिक व्यापक बनाने, मूल्य निगरानी एवं मूल्य प्रबोधन केन्द्रों (Price Monitoring Cell) के सुदृढीकरण किये जाने के संबंध में उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में दिनांक 31.12.2025 तक राज्य के 32 जिलो में मूल्य प्रबोधन केन्द्र खोले जा चुके हैं।

इन 32 केन्द्रों द्वारा प्रतिदिन आवश्यक वस्तुओं के बाजार भाव मण्डियों से प्राप्त कर भारत सरकार के पोर्टल पर मोबाईल एप के माध्यम से ऑनलाईन प्रविष्टी की जाती है।

उचित मूल्य दुकानों के आवंटन हेतु दिशा–निर्देश

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कम्प्यूटराईजेशन करने के संबंध में पारित आदेश, भारत सरकार के निर्देश एवं उचित मूल्य दुकानों में महिला समूह व सहकारी समितियों की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976 के खण्ड 3(1) के तहत उचित मूल्य दुकानों के प्राधिकार पत्र जारी किए जाने हेतु पूर्व में जारी समस्त आदेश/परिपत्र एवं दिशा–निर्देशों को अतिक्रमित करते हुए वर्तमान में प्रभावी नयी उचित मूल्य दुकानों के आवंटन हेतु नवीन दिशा–निर्देश/आवंटन की प्रक्रिया निम्नानुसार हैः–

आवंटन प्रक्रिया

1. उचित मूल्य दुकान आवंटन के लिये अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य अर्हताएँ

(i) **शहरी क्षेत्र** की उचित मूल्य की दुकान हेतु आवेदक के मामले में आवेदक उसी वॉर्ड का निवासी होना चाहिए, जिस वॉर्ड के उपभोक्ताओं को राशन सामग्री वितरण करनी है अर्थात् उस उचित मूल्य दुकान की अधिकारिता क्षेत्र में स्थित वॉर्डों में से किसी एक वॉर्ड का निवासी होना चाहिए। **ग्रामीण क्षेत्र** की उचित मूल्य दुकान के मामलों में आवेदक उसी पंचायत के किसी भी ग्राम या वॉर्ड का निवासी होना आवश्यक है, जिस पंचायत में उचित मूल्य दुकान स्थित है। एक से अधिक योग्य आवेदन पत्रों के प्राप्त होने की स्थिति में वरीयता उसी वार्ड/गांव के निवासी को दी जायेगी, जिसमें उचित मूल्य की दुकान स्थित है।

उचित मूल्य दुकान हेतु सभी श्रेणी के आवेदकों की आयु 21 से 45 वर्ष तक होनी चाहिए अर्थात उचित मूल्य दुकान के आवेदन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि को आवेदक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिये।

(ii) आवेदक की **"शैक्षणिक योग्यता सामान्य रूप से स्नातक एवं कम्प्यूटर में न्यूनतम जानकारी Rajasthan Knowledge Corporation Limited (RKCL) या अन्य समकक्ष सरकारी अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान का तीन माह का आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए"**। यदि उचित मूल्य के दुकानों के आवेदकों में कोई भी आवेदक स्नातक स्तर की शैक्षणिक योग्यता नहीं रखता है, तो ऐसी स्थिति में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण आवेदकों के प्रार्थना पत्रों को भी आवंटन हेतु स्वीकार किया जा सकेगा। यदि आवेदक कम्प्यूटर में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं हो तो आवेदन के साथ आवेदक से यह शपथ–पत्र भी लिया जावेगा, कि वह चयनित होने के 08 माह की अवधि में प्रशिक्षण प्राप्त कर लेगा व ऐसे चयनित व्यक्तियों को प्रशिक्षण के बाद प्राधिकार पत्र दिया जावेगा।

(iii) उचित मूल्य दुकान हेतु आवेदन करने वाले पुरूष/महिला के दिनांक 01.01.2015 के बाद पैदा हुई संतान सहित दो से अधिक संतान नही होनी चाहिये। निर्धारित तिथि पश्चात दो से अधिक संतान होने की स्थिति में कोई भी व्यक्ति आवेदन का पात्र नहीं होगा। उचित मूल्य दुकान आवंटन होने के पश्चात भी यदि किसी उचित मूल्य दुकानदार के तीसरी संतान होती है तो ऐसे उचित मूल्य दुकानदार का प्राधिकार पत्र निरस्तनीय होगा, परन्तु किसी आवेदक के दिनांक 31.12.2014 को एक ही संतान है तथा पश्चातवर्ती किसी एकल प्रसव से एक से अधिक संतानें पैदा हो जाती है, तो संतानों की गणना करते समय इस प्रकार एक प्रसव से पैदा हुई संतानों को एक इकाई ही समझा जाए।

2. आवेदन पत्र आमंत्रित करनाः–

(क) जिला रसद अधिकारी उचित मूल्य दुकान आवंटन हेतु रिक्तियों का निर्धारण कर; जिला कलक्टर से अनुमोदन प्राप्त कर, इन रिक्तियों का विवरण समाचार पत्रों एवं अन्य प्रचार माध्यमों में जिला जन सम्पर्क अधिकारी के मार्फत प्रेस नोट जारी कर विज्ञप्ति जारी करायेंगे।

(ख) आवेदन पत्र केवल मात्र जिला रसद कार्यालय से जारी किये जायेंगे अन्य किसी स्थान यथा टाईपिस्ट, नोटेरी/बुक स्टोर से प्राप्त किये गये आवेदन पत्र स्वीकार नही किये जायेंगे। एक आवेदन पत्र का मूल्य 100/– निर्धारित किया जाता है। जिला रसद कार्यालय से आवेदन पत्र निर्धारित शुल्क का भारतीय पोस्टल आर्डर (IPO) जमा कराया जाकर प्राप्त किये जा सकेगें। प्रत्येक आवेदन पत्र का क्रमांक अंकित करते हुए आवेदक को उपलब्ध कराये गये आवेदन पत्रों का रजिस्टर संधारित किया जायेगा।

(ग) आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में होगा, जिस पर आवेदनकर्त्ता का छायाचित्र लगा होगा।

(घ) समस्त आवेदन पत्रों को सलाहकार समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार कर अभिशंषा करने का अधिकार आवंटन सलाहकार समिति को ही होगा। आवंटन सलाहकार समिति की अभिशंषा के अनुसार चयनित आवेदनकर्ता के आवेदन पत्र/उचित मूल्य दुकान तथा गोदाम के ब्लूप्रिन्ट के नक्शों के अनुसार मौके की जांच रिपोर्ट की जाकर आवेदन पत्रों के साथ संलग्न दस्तावेजों की सत्यता एवं उचित मूल्य दुकान के स्थान एवं गोदाम की उपयुक्तता के संबंध में संबन्धित प्रवर्तन अधिकारी/प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा स्पष्ट टिप्पणी की जायेगी।

(ड) आवेदक द्वारा निम्न बिन्दुओं को अंकित करते हुये एक शपथ पत्र दिया जावेगाः–

(1) आवेदक पूर्व में ई.सी. एक्ट के तहत दण्ड़ित नहीं हुआ है।
(2) आवेदक द्वारा दुकान का संचालन स्वयं किया जावेगा।
(3) आवेदक के परिवार में किसी सदस्य; यथा, माता–पिता, पुत्र एवं पुत्री के नाम से पूर्व में कोई उचित मूल्य दुकान नहीं हैं।
(4) आवेदक को विधिक रूप से अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।
(5) आवेदक स्वयं निर्वाचित जनप्रतिनिधि नहीं है।
(6) आवेदक बालिग एवं स्वस्थ चित्त हैं, चाल–चलन अच्छा है तथा कभी दिवालिया घोषित नहीं हुआ है।
(7) आवेदक द्वारा दिनांक 01.01.2015 के बाद दो से अधिक संतान नही होने का स्पष्ट कथन किया जायेगा।

(च) प्रस्तावित दुकान का नक्शा प्रवर्तन अधिकारी/निरीक्षक द्वारा संवीक्षा के समय प्रमाणित किया जावेगा।

(छ) आवेदक द्वारा संबंधित तहसीलदार द्वारा जारी न्यूनतम 1,00,000/– रूपये का हैसियत का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जावेगा। महिला स्वयं सहायता समूह के लिए कार्यक्रम अधिकारी, महिला अधिकारिता की अभिशंषा सहित समूह की वित्तीय हैसियत न्यूनतम 25,000 रूपये होना आवश्यक होगा।

समिति, जो कि सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत हैं, को, हैसियत प्रमाण पत्र के स्थान पर समूह की वित्तीय हैसियत के सम्बन्ध में उनकी अंश पूंजी का विवरण, कार्यशील पूंजी का विवरण, वार्षिक कुल राशि का विवरण एवं विगत दो वित्तीय वर्ष व चालू वर्ष के बैंक खाते का स्टेटमेंट की प्रति मय सहायक पंजीयक/उप पंजीयक की यह अभिशंषा संलग्न करनी होगी कि समिति की वित्तीय हैसियत 1,00,000/– रूपये है और समिति की गत तीन संपरीक्षा (ओडिट रिपोर्ट) में गंभीर अनियमितता नहीं है।

(झ) आवेदक द्वारा दी गयी सूचनायें गलत पाये जाने पर आवंटन रद्द करने का अधिकार सक्षम अधिकारी को होगा।

3. आवंटन सलाहकार समिति

प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार कर अभिशंषा हेतु निम्न सदस्यों की तहसील स्तरीय समिति गठित होगी:—

(i) <u>नगरीय क्षेत्रों हेतु:—</u>

(क)	जिला रसद अधिकारी	अध्यक्ष
(ख)	नगर निगम / परिषद् / पालिका के अध्यक्ष / प्रशासक या उनके द्वारा मनोनीत बोर्ड का निर्वाचित सदस्य	सदस्य
(ग)	कार्यक्रम अधिकारी, महिला अधिकारिता विभाग अथवा नामांकित अधिकारी	विशेष आमंत्रित सदस्य
(घ)	सहकारिता विभाग का जिला उप—पंजीयक अथवा सहायक पंजीयक	विशेष आमंत्रित सदस्य
(ण)	राज्य सरकार द्वारा मनोनीत उसी क्षेत्र के	
	(i)सामाजिक कार्यकर्ता	एक सदस्य
	(ii)उपभोक्ता	एक सदस्य
	(iii)महिला उपभोक्ता	एक सदस्य

(ii) <u>ग्रामीण क्षेत्रों हेतु:—</u>

(क)	जिला रसद अधिकारी	अध्यक्ष
(ख)	संबंधित ग्राम पंचायत का सरपंच	सदस्य
(ग)	कार्यक्रम अधिकारी, महिला अधिकारिता विभाग अथवा नामांकित अधिकारी	विशेष आमंत्रित सदस्य
(घ)	सहकारिता विभाग का जिला उप—पंजीयक अथवा सहायक पंजीयक	विशेष आमंत्रित सदस्य
(ण)	राज्य सरकार द्वारा मनोनीत उसी क्षेत्र के	
	(i) सामाजिक कार्यकर्ता	एक सदस्य
	(ii) उपभोक्ता	एक सदस्य
	(iii) महिला उपभोक्ता	एक सदस्य

आवंटन सलाहकार समिति के मनोनीत सदस्यों द्वारा अनियमितता बरतने पर इन्हें हटाये जाने का अधिकार राज्य सरकार को होगा।

आवंटन सलाहकार समिति के सभी सदस्यों से इस बाबत शपथ—पत्र प्राप्त किया जाये कि उचित मूल्य दुकानों के आवेदकों के साक्षात्कार की सूची में मेरे परिवार का कोई सदस्य सम्मिलित नहीं है। यदि कोई परिवार का सदस्य साक्षात्कार के लिए पात्र है, तो उक्त चयनकर्ता साक्षात्कार समिति की बैठक में भाग नहीं लेगा।

विशेष आमंत्रित सदस्यों को आवंटन सलाहकार समिति की बैठक में तभी आमंत्रित किया जावे, जबकि प्राथमिकता क्रम 4(क) (प) एवं (पप) के आवेदन प्राप्त हुए हों तथा साक्षात्कार के लिए पात्र हो।

4. चयन प्रक्रिया एवं प्राथमिकताः—

आवंटन सलाहकार समिति प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार कर अपनी अभिशंषा जिला कलक्टर को प्रस्तुत करेगी। साक्षात्कार द्वारा आवेदकों के प्रार्थना पत्रों पर विचार के समय आवेदक के चयन के प्राथमिकता क्रम में आवंटन सलाहकार समिति द्वारा चयन प्रक्रिया निम्नानुसार दो चरणों में पूर्ण की जावेगीः—

(क) प्रथम वरीयता (संस्थागत) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्राथमिकता क्रम के आधार पर चयन किया जावेगाः—

(i) ग्राम सेवा सहकारी समिति/लैम्पस् (वृहतर क्षेत्रीय बहुउद्देशीय सहकारी समिति) /दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति, जो कि सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत हैं।

(ii) ''महिला स्वयं सहायता समूह'' जो, राज्य सरकार के महिला अधिकारिता विभाग से चयनित अथवा मान्यता प्राप्त है तथा न्यूनतम 3 वर्ष कार्य का अनुभव हो।

(iii) ग्राम पंचायत/निगमित निकाय

नोटः— आवेदक/समितियों/समूह/निकाय में सचिव/प्रबंधक का कम्प्यूटर दक्ष एवं शैक्षणिक योग्यताओं को पूर्ण करना अनिवार्य होगा। इस बाबत प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

विशेषः— यदि विज्ञापन किये जाने के पश्चात क्रम संख्या (i), (ii) व (iii) के अन्तर्गत एक ही आवेदन प्राप्त होता है, तो उसको प्राधिकार पत्र जारी किया जावेगा। इस श्रेणी के दो या दो से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर ही आवंटन हेतु निर्धारित प्रक्रिया अपनायी जावेगी।

(ख) द्वितीय वरीयता व्यक्तिगत (प्रथम वरीयता में आवेदन उपलब्ध नहीं होने पर)

1. बेरोजगार
   - (i) निःशक्तजन
   - (ii) महिलायें
     - (क) शहीद की विधवा, (वीरांगना)
     - (ख) विधवा
     - (ग) परित्यक्ता

2. भूतपूर्व सैनिक
3. अन्य पात्र बेरोजगार

(ग) आवंटन सलाहकार समिति के सदस्यों के द्वारा किसी पात्र व्यक्ति/संस्था का चयन बहुमत के आधार पर किया जायेगा जिसमें जिला कलक्टर का निर्णय अन्तिम होगा। किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में जिला कलक्टर द्वारा राज्य सरकार को पत्रावली अग्रेषित की जावेगी। ऐसे प्रकरणों में राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम होगा।

(घ) किसी उचित मूल्य दुकान के लिए एक ही आवेदक द्वारा आवेदन किया गया है और वह अहर्ताऐं पूर्ण करता है, तो उसका चयन किया जावेगा।

(ड) आवंटन सलाहकार समिति की बैठक हेतु जिला रसद अधिकारी सहित तीन का कोरम पूर्ण किया जाना आवश्यक है।

5. अन्य प्रावधान

(i) जनजाति उपयोजना के अनुसूचित क्षेत्रों की उचित मूल्य दुकानों में 45 प्रतिशत रिक्तियां अनुसूचित जनजातियों एवं 05 प्रतिशत अनुसूचित जातियों के स्थानीय सदस्यों के अभ्यार्थियों से भरी जावेगी। इन क्षेत्रों में शेष 50 प्रतिशत रिक्तियां अनारक्षित वर्ग से भरी जावेगी।

(ii) बांरा जिले की किशनगंज एवं शाहबाद तहसील क्षेत्रों की उचित मूल्य दुकानों में से 45 प्रतिशत दुकानें स्थानीय सहरिया आदिम जाति के आवेदकों को एवं 05 प्रतिशत स्थानीय अनुसूचित जाति के आवेदकों को आवटित की जावेगी।

(iii) वर्तमान में कार्यरत सभी प्राधिकृत उचित मूल्य दुकानदार एक वर्ष की अवधि में कम्प्यूटर का प्रशिक्षण आवश्यक रूप से प्राप्त करेंगे और प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। प्रशिक्षण अवधि (विशेष परिस्थितियों में ही) एक वर्ष के लिए कलक्टर की अनुशंषा पर राज्य सरकार के स्तर पर बढाई जा सकेगी।

(iv) द्वितीय वरीयता के अन्तर्गत चयनित उचित मूल्य दुकानदार की कार्य अवधि अधिकतम 60 वर्ष की आयु तक होगी।

(v) प्रत्येक आवेदक अथवा पदाधिकारी (महिला स्वयं सहायता समूह/ग्राम सेवा सहकारी समिति/लैम्पस्/दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति के मामले में) को अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करनी होगी कि उसके घर में कार्यशील शौचालय है। उक्त प्रावधान उचित मूल्य दुकान आवंटन के लिए अनिवार्य अर्हता होगी।

6. प्राधिकार पत्र जारी करनाः—

(i) उचित मूल्य दुकान आवंटन सलाहकार समिति की अनुशंषा का जिला कलक्टर द्वारा अनुमोदन होने के 07 दिवस की अवधि में सभी संबंधित चयनित आवेदकों को जिला रसद अधिकारी द्वारा उनके उचित मूल्य दुकानदार चयनित होने की सूचना दी जायेगी। संबंधित उचित मूल्य दुकानदार द्वारा निम्न अवधि में निर्धारित आवश्यक औपचारिकताओं का संपादन किया जायेगाः—

क्र सं	कार्य का विवरण	निर्धारित अवधि
1	प्रतिभूति राशि जमा कराना	चयन आदेश जारी होने की दिनांक से अधिकतम 15 दिवस
2	उचित मूल्य दुकानदार द्वारा प्राधिकार पत्र प्राप्त करना	प्रतिभूति राशि जमा कराने की तारीख से अधिकतम 15 दिवस
3	उचित मूल्य दुकानदार द्वारा वितरण कार्य प्रारंभ करना	प्राधिकार प्राप्त करने की तिथि से अधिकतम एक माह

(ii) उक्त अवधि समाप्त होने के बाद अधिकतम एक माह का रियायत अवधि काल (Grace period) जिला कलक्टर द्वारा बढाया जा सकेगा। रियायत काल की समाप्ति के पश्चात ऐसे प्रकरणों को राज्य सरकार के निर्णयार्थ प्रेषित किये जायेगे।

(iii) चयनित अभ्यर्थियों को जिला कलक्टर द्वारा फोटो युक्त प्राधिकार पत्र जारी किया जावेगा जिसके साथउचित मूल्य दुकानदार का परिचय पत्र भी जारी किया जायेगा।

उचित मूल्य दुकान आवंटित करने हेतु विभागीय दिशा—निर्देश क्रमांकः एफ 17(1)खा.वि. /विधि/2008 दिनांक 17.3.2016 के पृ.सं. 5 पर अंकित बिन्दु सं. 6 के अन्त में बिन्दु सं. 7 (सात) को जोडा जाकर विभागीय परिपत्र क्रमांक एफ 17(16)खा.वि./न्याय/2011 दिनांक 29.07.2019 द्वारा मृतक डीलर के आश्रित को अनुकम्पात्मक उचित मूल्य दुकान आवंटन का प्रावधान किया गया था। जिसे बजट वर्ष 2021—22 वित्त एवं विनियोग विधेयक चर्चा पर माननीय मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं की अनुपालना में अतिक्रमित करते हुए मृतक डीलर के आश्रित को अनुकम्पात्मक उचित मूल्य दुकान आवंटन हेतु प्रावधान संबंधी बिन्दु संख्या 07 को दिनांक 29.03.2022 के परिपत्र द्वारा निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया गया हैः—

7. मृतक डीलर के आश्रित को अनुकम्पात्मक उचित मूल्य दुकान का आवंटन –

उचित मूल्य दुकानदार की मृत्यु होने पर उसके परिवार के निम्न आश्रित सदस्यों में से किसी एक को निम्न वरीयता क्रम में दुकान आवंटित कर मृतक को जारी प्राधिकार–पत्र में संशोधन किया जायेगा :–

(i) मृतक की पत्नी / पति या
(ii) बालिग पुत्र (कानूनी रूप से गोद लिए गये पुत्र सम्मिलित) या
(iii) अविवाहित पुत्री (कानूनी रूप से गोद ली गई पुत्री सम्मिलित) / विधवा पुत्री / तलाकशुदा पुत्री या
(iv) मृतक की पुत्रवधू जो मृतक पर आश्रित हो या
(v) मृतक के पौत्र एवं अविवाहित पौत्री या
(vi) विवाहित पुत्री, यदि उपरोक्त खंड (ii) और (iii) में उल्लिखित मृतक का कोई अन्य आश्रित उपलब्ध नहीं है, या
(vii) मृतक के अविवाहित होने के मामले में माता, पिता, अविवाहित भाई या अविवाहित बहन, जो पूरी तरह से मृतक डीलर पर निर्भर थे।

अनुकम्पात्मक नियुक्ति हेतु अन्य शर्तें निम्न प्रकार है :–

1. कार्यरत प्राधिकार पत्रधारी डीलर की 60 वर्ष की उम्र तक यदि मृत्यु हो जाती है तो 90 दिवस की अवधि में आवेदन करने पर उपरोक्त प्राथमिकता क्रम में मृतक के स्थान पर मृतक के वारिस को उचित मूल्य दुकान का आवंटन किया जायेगा।
2. मृतक की विधवा के लिए शैक्षणिक योग्यता 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होगी।
3. मृतक की विधवा के अलावा मृतक के वारिस के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं कक्षा उत्तीर्ण हैं।
4. मृतक की विधवा के लिए कम्प्यूटर में दक्षता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं होगा तथा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा (45 वर्ष) में छूट रहेगी परन्तु मृतक की विधवा के अलावा अन्य वारिसों को यदि दुकान आवंटित की जाती है तो उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष रहेगी तथा उन्हें कम्प्यूटर योग्यता का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। विधवा के अलावा अन्य वारिसों द्वारा कम्प्यूटर योग्यता का प्रमाण–पत्र 08 माह की अवधि में प्रस्तुत किया जा सकेगा।
5. यदि उपरोक्त प्राथमिकता क्रम में मृतक का प्रथम वारिस उचित मूल्य दुकान नियुक्ति हेतु निर्धारित अर्हताएं पूर्ण नहीं करने पर उक्त क्रम संख्या (ii) से (v) तक अंकित वारिसों को वरीयतानुसार निर्धारित अर्हताएं पूरी करने पर दुकान आवंटित की जा सकेगी।
6. यदि मृतक के वारिस उपरोक्त वरीयतानुसार दुकान आवंटन नहीं कराकर बिना क्रमानुसार दुकान आवंटित करना चाहते हैं तो उपरोक्त अंकित शेष वारिसों से अनापत्ति का नियमानुसार शपथ–पत्र प्राप्त कर इस शर्त के साथ दुकान आवंटित की जा सकेगी कि अनुकम्पात्मक दुकान प्राधिकार–पत्रधारी मृतक के आश्रितों के जीवन के भरण–पोषण के दायित्त्व का निर्वहन करेगा।
7. उचित मूल्य दुकानदार की मृत्यु के कारण रिक्त हुई उचित मूल्य दुकान के स्थान पर निर्धारित प्रक्रिया अपनाकर यदि नई नियुक्ति की जा चुकी है तो अनुकम्पात्मक नियुक्ति के प्रावधान लागू नहीं होंगे।

उपरोक्तानुसार उचित मूल्य दुकान आवंटन की प्रक्रिया सम्पन्न करवाना सुनिश्चित करावें।

सतर्कता समितियां

सार्वजनिक वितरण व्यवस्था पर निगरानी हेतु राज्य सरकार द्वारा निम्नानुसार सतर्कता समितियों का गठन किया गया है :–

(अ) राज्य स्तरीय सतर्कता समिति का स्वरूप निम्नानुसार है :–

I.	माननीय मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग।	अध्यक्ष
II.	शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग।	सदस्य
III.	शासन सचिव, सहकारिता विभाग।	सदस्य
IV.	शासन सचिव, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग।	सदस्य
V.	शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग।	सदस्य
VI.	शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,	सदस्य
VII.	अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ।	सदस्य सचिव
VIII.	प्रबंध निदेशक, रा.रा.खा.ना.आ.निगम लि0, जयपुर।	सदस्य
IX.	निदेशक, उपभोक्ता मामले विभाग।	सदस्य
X.	नियंत्रक, विधिक मापविज्ञान विभाग।	सदस्य
XI.	प्रबंध निदेशक, राजफैड, सहकारिता विभाग।	सदस्य
XII.	प्रबंध निदेशक, तिलम संघ, सहकारिता विभाग।	सदस्य
XIII.	महाप्रबंधक, प्रशासन / वित्त / विपणन, रा.रा.खा.ना.आ.निगम लि0, जयपुर	सदस्य
XIV.	उप विधि परामर्शी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग।	सदस्य
XV.	विभागीय मंत्री द्वारा नामांकित दो प्रतिनिधि (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं एवं दिव्यांग को सम्यक् प्रतिनिधित्व दिया जायेगा)।	सदस्य

राज्य स्तरीय सतर्कता समिति का कार्यक्षेत्र, शक्तियाँ एवं कार्यविधि

i. राज्य स्तरीय सतर्कता समिति का कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण राजस्थान होगा। समिति राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा के प्रावधानों के क्रियान्वयन की नियमित रूप से मॉनीटरिंग करेगी।

ii. राज्य स्तर पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के बेहतर क्रियान्वयन एवं प्रभावी मॉनिटरिंग हेतु उक्तानुसार सतर्कता समिति स्थाई रूप से गठित की जायेगी, परन्तु विभागीय मंत्री द्वारा नामांकित सदस्यो का कार्यकाल अधिकतम 2 वर्ष होगा। नामांकित सदस्यों के दिवालिया, अपराध में दोषसिद्ध अथवा शारीरिक या मानसिक रूप से कर्तव्य निर्वहन में असमर्थ होने या अपनें पद एवं शक्तियों का दुरूपयोग करने की दशा में नियुक्तिकर्ता द्वारा कार्यावधि से पूर्व भी हटाया जा सकेगा।

iii. राज्य स्तरीय सतर्कता समिति जिला, ब्लॉक एवं उचित मूल्य दुकान स्तरीय सतर्कता समितियों द्वारा आयोजित बैठकों एवं उनमें की गई कार्यवाही की समीक्षा करेगी। राज्य स्तरीय सतर्कता समिति को सीधे प्राप्त सतर्कता प्रकरणों पर विचार–विमर्श कर निर्णय लेने का भी अधिकार होगा। प्रत्येक प्रकरण में अन्तिम निर्णय मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग का होगा।

iv. गंभीर प्रकरणों में राज्य स्तरीय सतर्कता समिति आवश्यकतानुसार राज्य सरकार एवं भारत सरकार को आवश्यक कार्यवाही की अभिशंषा कर सकेगी।

v. राज्य स्तरीय सतर्कता समिति कलेण्डर वर्ष के प्रत्येक तीन माह में कम से कम एक बार बैठक अवश्य करेगी। किसी त्रैमास में अन्तिम माह तक निर्धारित तिथि पर बैठक नहीं हो पाने की स्थिति में ऐसी बैठक आवश्यक रूप से आगामी त्रैमास के प्रथम माह में कर ली जाएगी। किसी भी परिस्थिति में 2 बैठकों के मध्य अधिकतम 6 माह से अधिक का अन्तराल नहीं होगा।

vi. राज्य स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक हेतु निर्धारित कोरम कुल सदस्यों की संख्या का 1/3 होगा। कोरम पूरा नहीं होने पर बैठक आगामी तिथि के लिए स्थगित की जा सकेगी। आगामी तिथि पर स्थगित बैठक का आयोजन कोरम के अभाव में भी किया जा सकेगा।

vii. राज्य स्तरीय सतर्कता समिति द्वारा की गई बैठकों का कार्यवाही विवरण विभागीय पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा तथा निर्णयों की पालना हेतु संबंधित जिला कलक्टर/जिला रसद अधिकारी एवं विभागीय अधिकारीगण को प्रेषित किया जाएगा।

(ब) जिला स्तरीय खाद्य सुरक्षा एवं सतर्कता समिति

जिला स्तरीय खाद्य सुरक्षा एवं सतर्कता समिति में निम्न लिखित सदस्य है :–

1. जिला कलक्टर	अध्यक्ष
2. जिले के समस्त सांसद	सदस्य
3. जिले के समस्त विधायक	सदस्य
4. जिला प्रमुख	सदस्य
5. जिले के समस्त प्रधान/पंचायत समिति	सदस्य
6. जिले की समस्त नगर पालिकाओं/परिषदों/निगमों के अध्यक्ष	सदस्य
7. उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार	सदस्य
8. उपभोक्ता संगठनों का एक प्रतिनिधि (जिला कलक्टर द्वारा मनोनीत)	सदस्य
9. चार सामाजिक कार्यकर्ता/उपभोक्ता (इनमें एस.सी., एस.टी., महिला एवं निःशक्त व्यक्ति सम्मिलित होगा, जिसका मनोनयन जिला कलक्टर द्वारा किया जायेगा।)	सदस्य
10. जिला रसद अधिकारी	सदस्य सचिव

इस समिति का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण जिला है।

(स) तहसील स्तरीय खाद्य सुरक्षा एवं सतर्कता समिति

1. उप खण्ड अधिकारी	अध्यक्ष
2. प्रधान पंचायत समिति (उपखण्ड मुख्यालय वाली तहसीलों में अध्यक्ष सम्बन्धित उपखण्ड–अधिकारी होगें एवं तहसीलदार मात्र सदस्य होगें)	उपाध्यक्ष
3. स्थानीय निकाय के दो सदस्य जिनका मनोनयन उपखण्ड अधिकारी द्वारा किया जावेगा।	सदस्य
4. पंचायत समिति के दो सदस्य, जिन्हें उपखण्ड अधिकारी द्वारा मनोनीत किया जावेगा।	सदस्य
5. स्थानीय विधायक	सदस्य
6. विकास अधिकारी पंचायत समिति	सदस्य
7. उपभोक्ता संगठन का एक प्रतिनिधि (उपखण्ड अधिकारी द्वारा मनोनीत)	सदस्य

8. चार सामाजिक कार्यकर्ता/उपभोक्ता (इनमें एस.सी., एस.टी., महिला एवं निःशक्त व्यक्ति सम्मिलित होगा, जिसका मनोनयनजिला कलक्टर द्वारा किया जायेगा।) सदस्य
9. सम्बन्धित प्रवर्तन अधिकारी/प्रवर्तन निरीक्षक सदस्य

इस समिति का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण तहसील क्षेत्र है। उपखण्ड मुख्यालय पर स्थित तहसीलों एवं अन्य तहसीलों में क्रमांक 8 एवं 9 के सदस्यों का मनोनयन उपखण्ड अधिकारी द्वारा किया जाता है।

(द) उचित मूल्य दुकान स्तरीय खाद्य सुरक्षा एवं सतर्कता समिति

शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में उचित मूल्य दुकान स्तरीय सतर्कता समिति का गठन किया जाता है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होते है :–

(1) शहरी क्षेत्र के लिये

1. वार्ड पार्षद	अध्यक्ष
2. सामाजिक कार्यकर्ता (दो)	सदस्य
3. उपभोक्ता (दो)	सदस्य
4. सेवानिवृत अधिकारी/कर्मचारी (स्थानीय निवासी)	सदस्य

सामाजिक कार्यकर्ता एवं उपभोक्ता श्रेणी में एस.सी., एस.टी., महिला एवं निःशक्तजन सम्यत प्रतिनिधित दिया जावेगा। जिला मुख्यालय पर जिला कलक्टर द्वारा एवं अन्य स्तर पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा मनोनयनकिया जायेगा।

(2) ग्रामीण क्षेत्र के लिये

1. सरपंच	अध्यक्ष
2. उपभोक्ता (दो)	सदस्य
3. सम्बन्धित विद्यालय का प्रधानाध्यापक/अध्यापक	सदस्य
4. सेवानिवृत अधिकारी/कर्मचारी (स्थानीय निवासी)	सदस्य
5. सामाजिक कार्यकर्ता (दो)	सदस्य
6. पंच (एक)	सदस्य

सामाजिक कार्यकर्ता एवं उपभोक्ता श्रेणी में एस.सी., एस.टी. महिला एवं निःशक्तजन को सम्यक प्रतिनिधित दिया जावेगा। उपखण्ड अधिकारी द्वारा सदस्यों का मनोनयन किया जावेगा।

विभिन्न स्तर पर गठित की जाने वाली खाद्य सुरक्षा एवं सतर्कता समितियों का कार्य एवं कार्यप्रणाली निम्नानुसार होगीः–

खाद्य सुरक्षा संबंधित कार्य

- खाद्य सुरक्षा एवं सतर्कता समिति माह में एक बार आवश्यक रूप से बैठक करेगी।
- समिति यह सुनिश्चित करेगी कि संबंधित जिलें, उपखण्ड एवं पंचायत में कोई भी पात्र लाभार्थी खाद्य सुरक्षा की सूची में समावेशन में वंचित नही रहे तथा कोई भी अपात्र खाद्य सुरक्षा का लाभ प्राप्त नही कर सकें।

- समिति सूचियों का समय–समय पर पुनर्विलोकन कर सकेगी तथा सक्षम स्तर पर वंचित पात्र व्यक्तियों एवं सूची में जुडे अपात्र व्यक्तियों की सूचना सप्रमाण सक्षम स्तर पर दे सकेगी तथा निष्कासन एवं समावेशन हेतु अभिशंषा कर सकेगी।
- समिति दूरस्थ–पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ पहुँचना कठिन है, वहाँ निवास करने वाले पात्र लाभार्थियों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष ध्यान देगी।
- समिति खाद्य सुरक्षा के अन्तर्गत वितरण की प्रभावी सामाजिक संपरीक्षा कर सकेगी तथा उसे सक्षम स्तर पर अपनी संपरीक्षाऐं कार्यवाही हेतु प्रस्तुत कर सकेगी।
- समिति उचित मूल्य दुकानों के आवंटन, आपूर्ति–पहुँच एवं वितरण पर निगरानी रखेगी।
- समिति यह सुनिश्चित करेगी कि उचित मूल्य दुकान समय पर खुलती है एवं बन्द होती है।
- समिति समय–समय पर यह सुनिश्चित करेगी कि खाद्यान्न/राशन सामग्री का वितरण निर्धारित दर पर लाभार्थी को किया गया है अथवा नही ?
- समिति यह सुनिश्चित करेगी कि नियंत्रित वस्तुओं के नमूने (सैम्पल) भी प्रत्येक दुकान पर रखे जायें।
- समिति द्वारा की गई बैठकों के कार्यवाही विवरण हेतु एक रजिस्टर का संधारण किया जावेगा तथा बैठक का विवरण सक्षम स्तर पर यथा, उचित मूल्य दुकान संबंधी कार्यवाही विवरण उपखण्ड अधिकारी/जिला रसद अधिकारी, उपखण्ड स्तरीय समिति का विवरण जिला कलक्टर एवं जिला स्तरीय समिति का विवरण विभाग/राज्य सरकार को भिजवाया जाना सुनिश्चित किया जावेगा, जिस पर सक्षम स्तर के माध्यम से आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
- समिति बोगस/फर्जी राशन कार्डों को निरस्त करवाने संबंधी अभिशंषा कर सकेगी।
- संबंधित प्रवर्तन अधिकारी/प्रवर्तन निरीक्षक का यह दायित्व होगा कि वह अपने क्षेत्र में स्थित सतर्कता समितियों की होने वाली बैठकों में आवश्यक रूप से भाग ले तथा सतर्कता समिति के सदस्यों को समिति के संचालन बाबत अधिक से अधिक जानकारी दे एवं उनके मार्फत इन दुकानों का सुचारू रूप से संचालन सुनिश्चित करें।
- समिति के सदस्यों को उचित मूल्य दुकान के रिकॉर्ड के अवलोकन का अधिकार होगा।
- समिति सुनिश्चित करेगी कि उचित मूल्य दुकानदार द्वारा तौल हेतु प्रमाणित बाट–माप का प्रयोग किया जावें।
- समिति के किसी सदस्य के खिलाफ कोई सारगर्भित शिकायत प्राप्त होती है, तो बाद जांच मनोनयन हेतु प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा कारणों का उल्लेख करते हुए जिला कलक्टर के अनुमोदन पश्चात् ऐसे सदस्य को हटाया जा सकेगा।
- सतर्कता समिति के मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष होगा।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रभावी बनाए जाने के क्रम में विभाग द्वारा निम्नांकित कदम उठाए गए हैं:–

उचित मूल्य दुकानों के आवंटन हेतु नवीन दिशा निर्देश दिनांक 17.03.2016 को जारी किये गये हैं।

सम्पूर्ण राज्य में उचित मूल्य दुकानों के व्यवस्थित कार्य करने हेतु परिपत्र दिनांक 17.12.2019 के अनुसार उचित मूल्य दुकानें पूरे माह खुली रहेगी तथा राशन सामग्री का वितरण किया जावेगा। उचित मूल्य दुकानों के खुली रहने के समय में एकरूपता की गई है:–

अवधि	समय
विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 27.02.2020 के अनुसार उपभोक्ता पखवाड़ा 1 से 15 तारीख	प्रातः 9 बजे से सांय 5 बजे तक (अपरान्ह 01 से 02 बजे तक भोजन अवकाश)
माह में 01 से 15 तारीख के अतिरिक्त अन्य दिवसों में समय निम्न प्रकार रहेगा :–	
अप्रेल से सितम्बर तक	प्रातः 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक
अक्टूबर से मार्च तक	प्रातः 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक
उपभोक्ता पखवाड़े की अवधि में कोई अवकाश नहीं रहेगा। अन्य दिवस में साप्ताहिक अवकाश का दिन निर्धारित करने के लिये जिला कलेक्टर्स को अधिकृत किया जाता है।	

उचित मूल्य दुकानों पर ई–मित्र केन्द्र स्थापित किया जाना आदेश दिनांक 22.05.2020:–

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत बजट 2020–2021 के बिन्दु संख्या 180 की पालना में उचित मूल्य दुकानदारों की आय में वृद्धि के लिए राज्य सरकार द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976 खण्ड–20 व उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) आदेश, 20 मार्च 2015 धारा 9(9) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उचित मूल्य दुकानों पर ई–मित्र केन्द्र स्थापित करने हेतु निम्न शर्तो के अध्याधीन अधिकृत किया जाता है:–

1. उचित मूल्य दुकानदार स्वयं के स्तर पर ही सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र में ही आवेदन करेगा।
2. उचित मूल्य दुकानदार द्वारा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा निर्धारित समस्त पात्रता शर्तो/मापदण्डो को अपने स्तर पर ही पूर्ण करना होगा।
3. उचित मूल्य दुकानदार को सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की ई–मित्र कियोस्क के लिए जारी समस्त दिशा–निर्देशों का पालन करना होगा।
4. उचित मूल्य दुकानदारों को यह ध्यान रखना होगा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कार्य/राशन वितरण का कार्य बाधित न हो।
5. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा ई–मित्र केन्द्र स्थापित करने में किसी भी प्रकार की वित्तीय, तकनीकी या अन्य कोई सहायता नहीं दी जावेगी।
6. उचित मूल्य दुकानदारों द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु उपलब्ध बजट/राशि का उपयोग ई–मित्र कियोस्क संचालन हेतु नहीं किया जायेगा।
7. उपरोक्त शर्तों की पालना नहीं करने की स्थिति में विभाग द्वारा उचित मूल्य दुकानदार का लाइसेन्स नियमानुसार निरस्त किया जा सकेगा।

उचित मूल्य दुकानों की नियुक्ति में महिलाओं का 30 प्रतिशत आरक्षण व्यवस्था लागू की गई (विभागीय पत्र क्रमांक एफ 17(5)खा.वि./न्याय/महि.आर./2019 दिनांक 25.11.2020) :–

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आवंटित किए जाने वाले नए आउटलेट में से 30 प्रतिशत महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाने के प्रावधान किये जाने हेतु विभागीय जारी दिशा–निर्देश क्रमांक एफ17(1)खा.वि./विधि/2008 दिनांक 17.03.2016 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है–

1. दिशा–निर्देश क्रमांक एफ17(1) खा.वि./विधि/2008 दिनांक 17.03.2016 के बिन्दु संख्या बिन्दु सं. 4 (चार) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है, अर्थात –

"4. विशेष क्षेत्रों का वर्ग आरक्षण, महिला क्षैतिज आरक्षण, चयन प्रकिया एवं प्राथमिकता:

उचित मूल्य दुकानों की नियुक्ति में निम्न प्रकार से आरक्षण व्यवस्था लागू की जाती है:–

(1) सभी रिक्तियों (नवसृजित सहित) के लिए 30 प्रतिशत महिलाओं (बेरोजगार) का क्षैतिज आरक्षण/वरीयता को रखा जायेगा जो कि वर्तमान तथा भविष्य में जारी होने वाली विज्ञप्ति/ रिक्तियों पर लागू होगा।

(2) जनजाति उपयोजना के अनुसूचित क्षेत्रों की उचित मूल्य दुकानों की कुल रिक्तियों (नवसृजित सहित) में से 45 प्रतिशत रिक्तियां अनुसूचित जनजातियों एवं 5 प्रतिशत अनुसचित जातियों के स्थानीय सदस्यों के अभ्यर्थियों से भरी जावेगी। इन क्षेत्रों में शेष 50 प्रतिशत रिक्तियां अनारक्षित वर्ग से भरी जावेगी। जनजाति उपयोजना के अनुसूचित क्षेत्रों की महिलाओं के लिए देय 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण/वरीयता को, अनारक्षित वर्ग के 50 प्रतिशत में, अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के क्रमशः 45 प्रतिशत और 5 प्रतिशत के निर्धारित कोटे में ही समायोजित किया जाएगा, अर्थात उक्त 30 प्रतिशत आरक्षण पृथक से देय नहीं होगा।

(3) बारां जिले की किशनगंज एवं शाहबाद तहसील क्षेत्रों की उचित मूल्य दुकानों की कुल रिक्तियों (नवसृजित सहित) में से 45 प्रतिशत दुकानें स्थानीय सहरिया आदिम जाति के आवेदकों को एवं 5 प्रतिशत स्थानीय अनुसूचित जाति के आवेदकों को आवंटित की जावेगी। इन जिलों में शेष 50 प्रतिशत रिक्तियां अनारक्षित वर्ग से भरी जावेगी। इन क्षेत्रों में शेष 50 प्रतिशत रिक्तियां अनारक्षित वर्ग से भरी जावेगी। जनजाति उपयोजना के अनुसूचित क्षेत्रों की महिलाओं के लिए देय 30 प्रतिशत आरक्षण को, अनारक्षित वर्ग के 50 प्रतिशत में, स्थानीय सहरिया आदिम जाति एवं स्थानीय अनुसूचित जाति के क्रमशः 45 प्रतिशत और 5 प्रतिशत के निर्धारित कोटे में ही समायोजित किया जाएगा। अर्थात उक्त 30 प्रतिशत आरक्षण पृथक से देय नहीं होगा।

(4) उक्त उपबिंदु (2) व (3) के क्रम में महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण/वरीयता को प्रत्येक वर्ग यथा अनारक्षित, अ.जा., एवं अ.ज.जा. अथवा स्थानीय सहरिया आदिम जाति एवं स्थानीय अनुसूचित जाति वर्ग के आवेदकों को किए गये आरक्षण हेतु निर्धारित रोस्टर के अनुसार ही देय होगा। अर्थात महिलाओं के संबंध में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण/वरीयता को, प्रत्येक वर्ग में महिलाओं की उपलब्धता के आधार पर दिया जाएगा। उदाहरण के लिए 100 उचित मूल्य दुकानों में से कुल 30 दुकान महिलाओं को देय होंगी। उचित मूल्य दुकान के आवंटन के समय प्रत्येक वर्ग की रिक्तियों को भरते समय यह ध्यान रखा जाएगा कि जिस वर्ग की महिला उपलब्ध है, वह उसी वर्ग की रिक्तियों के निर्धारित कोटे के अन्तर्गत भागीदारी प्राप्त करेगी।

(5) उक्त उपबिंदु (3) व (4) के क्रम में शेष 50 प्रतिशत दुकानों के आवंटन में आरक्षित वर्ग के अलावा अन्य सभी वर्ग के लोगों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली में समान अवसर दिया जावेगा।

(6) वर्ग आरक्षण अथवा महिला क्षैतिज आरक्षण व्यवस्था से पात्रता की पूर्व में विहित अन्य किसी शर्त में कोई छूट देय नहीं होगी। वर्ग आरक्षण व्यवस्था के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र को आधार माना जावेगा।

(7) मृतक उचित मूल्य दुकानदार के स्थान पर अनुकम्पात्मक नियुक्ति पर आरक्षण व्यवस्था लागू नहीं होगी।

2. दिशा–निर्देश क्रमांक एफ17(1) खा.वि./विधि/2008 दिनांक 17.03.2016 के बिन्दु सं. 5 (पांच) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है, अर्थात –

''5. चयन प्रकिया एवं प्राथमिकता''

(1) जनजाति उपयोजना के अनुसूचित क्षेत्रों और बारां जिले की किशनगंज एवं शाहबाद तहसील क्षेत्रों में आरक्षण के क्रम में आवंटन सलाहकार समिति प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार कर अपनी अभिशंषा जिला कलक्टर को प्रस्तुत करेगी। साक्षात्कार द्वारा आवेदकों के प्रार्थना पत्रों पर विचार के समय आवेदक के चयन के प्राथमिकता क्रम में आवंटन सलाहकार समिति द्वारा चयन प्रक्रिया निम्नानुसार अपनाई जायेगी–

1. दिव्यांग (बेरोजगार)
2. भूतपूर्व सैनिक (बेरोजगार)
3. अन्य पात्र (बेरोजगार)

(2) महिला क्षैतिज आरक्षण के क्रम में आवंटन सलाहकार समिति प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार कर अपनी अभिशंषा जिला कलक्टर को प्रस्तुत करेगी। साक्षात्कार द्वारा आवेदकों के प्रार्थना पत्रों पर विचार के समय आवेदक के चयन के प्राथमिकता क्रम में आवंटन सलाहकार समिति द्वारा चयन प्रक्रिया निम्नानुसार अपनाई जायेगी–

1. दिव्यांग महिला (बेरोजगार)
2. शहीद की विधवा (वीरांगना) (बेरोजगार)
3. विधवा (बेरोजगार)
4. परित्यक्ता (बेरोजगार)
5. भूतपूर्व सैनिक महिला (बेरोजगार)
6. अन्य पात्र महिला (बेरोजगार)

(3) अनारक्षित वर्ग के क्रम में आवंटन सलाहकार समिति प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार कर अपनी अभिशंषा जिला कलक्टर को प्रस्तुत करेगी। साक्षात्कार द्वारा आवेदकों के प्रार्थना पत्रों पर विचार के समय आवेदक के चयन के प्राथमिकता क्रम में आवंटन सलाहकार समिति द्वारा चयन प्रक्रिया निम्नानुसार दो चरणों में पूर्ण की जावेगी:

(क) प्रथम वरीयता (संस्थागत) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्राथमिकता क्रम के आधार पर चयन किया जावेगा:

(i) ग्राम सेवा सहकारी समिति/लैम्पस (वृहतर क्षेत्रीय बहुउद्देशीय सहकारी समिति)/दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति, जो कि सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत हैं।

(ii) ''महिला स्वयं सहायता समूह'' जो राज्य सरकार के महिला अधिकारिता विभाग से चयनित अथवा मान्यता प्राप्त है। आवेदक महिला स्वयं सहायता समूह को तीन वर्ष का कार्यानुभव हो।

(iii) ग्राम पंचायत/निगमित निकाय

स्पष्टीकरण 1 – आवेदक/समितियों/समूह/निकाय में सचिव/प्रबंधक का कम्प्यूटर दक्ष एवं शैक्षणिक योग्यताओं को पूर्ण करना अनिवार्य होगा। इस बाबत प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

स्पष्टीकरण 2 – यदि विज्ञापन किये जाने के पश्चात क्रम संख्या (i) (ii) व (iii) के अन्तर्गत एक ही आवेदन प्राप्त होता है, तो उसको प्राधिकार पत्र जारी किया जावेगा। इस श्रेणी के दो या दो से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर ही आवंटन हेतु निर्धारित प्रक्रिया अपनायी जावेगी।

स्पष्टीकरण 3 – महिला स्वयं सहायता समूह के अनुभव के आंकलन के संबंध में निम्न आधार होंगे –

1. समूह का गठन कम से कम तीन वर्ष पूर्व का हो।
2. समूह का कम से कम तीन वर्ष पूर्व बैंक में खाता खुला हो।
3. समूह के सदस्य तीन वर्षों से आंतरिक लेन–देन में संलग्न हो।

(ख) द्वितीय वरीयता व्यक्तिगत (प्रथम वरीयता में आवेदन उपलब्ध नहीं होने पर)

1. दिव्यांग (बेरोजगार)
2. भूतपूर्व सैनिक (बेरोजगार)
3. अन्य पात्र (बेरोजगार)

स्पष्टीकरण 4 – बहुमत से आशय प्राथमिकता क्रमानुसार बहुमत से है अर्थात बिन्दु 4(ख) में यदि निःशक्तजन का आवेदन–पत्र है तथा वह अन्यथा पात्र है तो निःशक्तजन को ही उचित मूल्य दुकान आवंटित की जायेगी।

(4) आवंटन सलाहकार समिति के सदस्यों द्वारा किसी पात्र व्यक्ति/संस्था का चयन बहुमत के आधार पर किया जायेगा जिसमें जिला कलक्टर का निर्णय अन्तिम होगा। किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में जिला कलक्टर द्वारा राज्य सरकार को पत्रावली अग्रेषित की जावेगी। ऐसे प्रकरणों में राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम होगा।

स्पष्टीकरण 5 – आवंटन सलाहकार समिति के सदस्यों के मध्य किसी व्यक्ति/संस्था की पात्रता के बारे में मतभेद होने पर ऐसे प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित नहीं किये जावें तथा ऐसे प्रकरण जिला कलक्टर द्वारा ही स्वयं के स्तर से निस्तारित किये जावें। ऐसे प्रकरणों की पुनः समीक्षा के पश्चात् भी निस्तारण से शेष स्थानों पर चयन हेतु पुनः प्रक्रिया प्रारम्भ की जावे।

(5) किसी उचित मूल्य दुकान के लिए एक ही आवेदक द्वारा आवेदन किया गया है और वह अर्हताएं पूर्ण करता है, तो उसका चयन किया जावेगा।

(6) आवंटन सलाहकार समिति की बैठक हेतु जिला रसद अधिकारी सहित तीन का कोरम पूर्ण किया जाना आवश्यक है।

3. विभागीय जारी दिशा–निर्देश क्रमांक एफ17(1) खा.वि./विधि/2008 दिनांक 17.03.2016 के बिन्दु सं. 7 (सात) के अन्त में निम्न बिन्दु सं. 8 (आठ) जोड़ा जाता है, अर्थात–

''8. अन्य प्रावधान''

(i) वर्तमान में कार्यरत सभी प्राधिकृत उचित मूल्य दुकानदार एक वर्ष की अवधि में कम्प्यूटर का प्रशिक्षण आवश्यक रूप से प्राप्त करेंगे और प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। प्रशिक्षण अवधि (विशेष परिस्थितियों में ही) एक वर्ष के लिये कलक्टर की अनुशंषा पर राज्य सरकार के स्तर पर बढ़ायी जा सकेगी।

(ii) द्वितीय वरीयता के अन्तर्गत चयनित उचित मूल्य दुकानदार की कार्य अवधि अधिकतम 60 वर्ष की आयु तक होगी।

(iii) प्रत्येक आवेदक अथवा पदाधिकारी (महिला स्वयं सहायता समूह/ग्राम सेवा सहकारी समिति/लैम्प्स/दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति के मामले में) को अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करनी होगी कि उसके घर में कार्यशील शौचालय (functional toilet) है। उक्त प्रावधान उचित मूल्य दुकान आवंटन के लिए अनिवार्य अर्हता होगी।''

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

सूचना का अधिकार अधिनियम का मूल उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाने, सरकार के कार्य में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बढ़ावा देना, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करना और वास्तविक अर्थों में हमारे लोकतंत्र को लोगों के लिए कामयाब बनाना है। यह स्पष्ट हें कि एक जानकार नागरिक प्रशासन के साधनों पर आवश्यक सतर्कता बनाए रखने के लिए बेहतर सक्षम है और सरकार को अधिक जवाबदेह बनाता है। यह कानून नागरिकों को सरकार की गतिविधियों के बारे में जानकारी देने के लिए एक बड़ा कदम है।

एनआईसी ने सार्वजनिक प्राधिकरण के रूप में अक्टूबर 2005 में अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नागरिकों को जानकारी पहुंचाने एवं सक्रिय खुलासों को प्रकाशित करने के लिए जन सूचना अधिकारी (पीआईओ) और अपीलीय प्राधिकारी (एए) नामित किया है।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत विभाग द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी नियुक्ति बाबत निम्नानुसार आदेश प्रसारित किये हुए हैं:–

क्र.सं.	विभाग	राज्य लोक सूचना अधिकारी	प्रथम अपीलीय अधिकारी
1	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	1. वित्तीय सलाहकार 2. उपायुक्त एवं उप शासन सचिव (प्रथम) 3. उपायुक्त एवं उप शासन सचिव (द्वितीय) 4. उप विधि परामर्शी 5. सहायक आयुक्त 6. सहायक निदेशक (सांख्यिकी) 7. जिला रसद अधिकारी (सतक्रता) 8. जिला रसद अधिकारी (उपार्जन)	अतिरिक्त खाद्य आयुक्त एवं पदेन निदेशक, उपभोक्ता मामले विभाग, जयपुर।
2	जिला स्तर पर	जिला रसद अधिकारी	जिला कलक्टर (रसद)

लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2011

राज्य में राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारन्टी अधिनियम, 2011 दिनांक 14.01.2011 से प्रभावी हो गया है। इस अधिनियम के अन्तर्गत विभाग से संबधित राशनकार्ड जारी करने का बिन्दु है। अधिनियम, 2011 के सन्दर्भ में प्राप्त आवेदन पत्रों पर निर्धारित समायावधि में राशनकार्ड जारी करने की कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु विभागीय आदेश क्रमांक एफ.97(1)खा.वि/साविप्र/2010–11 दिनांक 11. 11.2011 द्वारा सभी जिला कलक्टरों/जिला रसद अधिकारियों को निर्देश जारी किये गए है तथा राज्य में राशनकार्ड जारी करने के लिए निम्नाकिंत अधिकारियों को प्राधिकृत किया गया है :–

क्र. सं	विभाग	विधेयक की धारा 3 की परिधि में ली गई सेवायें		सेवा प्रदान करने की समयावधि	पदभिहित अधिकारी	प्रथम अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपीलीय अधिकारी	विशेष टिप्पणी यदि कोई हो
		क्र. सं.	सेवा का विवरण					
			नये राशनकार्ड बनाने हेतु					
		1.	जिला मुख्यालय का नगरपालिका क्षेत्र		जिला रसद अधिकारी			
1	खाद्य, नागरिक एवं आपूर्ति विभाग, सचिवालय, जयपुर	2.	शेष नगरपालिका क्षेत्र में	आवेदन प्राप्ति से 7 दिवस	नगरपालिका बोर्ड का अधिशाषी अधिकारी/ आयुक्त	जिला कलक्टर	शासन सचिव, खाद्य विभाग	–
		3.	ग्रामीण क्षेत्र के लिए		विकास अधिकारी, संबंधित पंचायत समिति अधिकारी			
		4.	राज्य सरकार द्वारा अधिकृत		राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से अधिकृत कोई भी अन्य अधिकारी			

समस्त प्राधिकृत अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि प्राप्त आवेदन पत्रों पर नियमानुसार कार्यवाही कर उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत 7 दिवस की अवधि में राशनकार्ड बनाये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करे।

साथ ही आरजीडीपीएस एक्ट, 2011 के तहत निम्नांकित दो सेवाये और जोड़ने हेतु प्रस्ताव जन अभियोग निराकरण विभाग को प्रेषित किया गया है, जो कि उनके स्तर पर प्रक्रियाधीन है :–

क्र. स.	सेवा का विवरण	सेवा प्रदान करने की समयावधि	पदाभिहित अधिकारी	प्रथम अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपीलीय अधिकारी
1.	उचित मूल्य दुकानों के प्राधिकार पत्र जारी करने की प्रक्रिया ऑनलाईन करना।	90 दिवस	जिला कलक्टर	संभागीय आयुक्त	शासन सचिव, खाद्य विभाग
2.	पेट्रोलियम, डीजल, नेफ्था विनिर्माण, भंडारण, बिक्री, परिवहन की स्थापना के लिए आवश्यक एनओसी लेने की प्रक्रिया को ऑनलाईन करना।	15 दिवस	जिला मजिस्ट्रेट	संभागीय आयुक्त	शासन सचिव, खाद्य विभाग

विभाग की महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ

1.गिव अप अभियान

- राज्य में ''अपात्र को लाभ प्राप्त ना हो, पात्र लाभ से वंचित ना रहे'' के ध्येय से खाद्य सुरक्षा सूची में शामिल समक्ष लोगों से स्वेच्छा से अपना लाभ छोड़ने के आहवान के साथ विभाग द्वारा विस्तृत कार्य योजना तैयार कर 01 नवम्बर, 2024 से ''गिव अप अभियान'' प्रारम्भ किया गया। जिससे पात्र वंचित परिवारों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लाभ प्राप्त हो सके।
- गिव अप अभियान के तहत विशेष रूप से निम्न श्रेणी के परिवारों को स्वेच्छा से लाभ छोडने हेतु प्रेरित किया गया जो एनएफएसए के तहत अपात्र हैंः–
  1. कोई सदस्य सरकारी अथवा अर्धसरकारी कर्मचारी हो।
  2. जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रूपए से अधिक हो।
  3. जिसके किसी सदस्य के पास चार पहिया वाहन हो (ट्रैक्टर एवं एक वाणिज्यिक वाहन को छोडकर, जो जीविकोपार्जन के उपयोग मे आता हो)
  4. जिसको कोई सदस्य आयकर दाता हो।
- विभाग द्वारा अभियान में समस्त उचित मूल्य दुकानों पर अपात्रों के छंटनी के संबंध में पोस्टर लगाए गए एवं राशनडीलरों के साथ नियमित बैठकें आयोजित कर अभियान का अधिक से अधिक प्रचार–प्रसार किया गया। सोशल मीडिया, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी उपयोग कर प्रचार–प्रसार किया गया। साथ ही, रात्रि चौपाल, जनसुनवाई, ग्रामसभा, सार्वजनिक कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों एवं प्रबुद्ध लोगों का सहयोग से अधिक से अधिक लोगों को गिव अप के लिये प्रेरित किया गया।
- विभाग द्वारा पोर्टल पर ऑनलाईन "GIVE UP" करने का विकल्प उपलब्ध कराया गया, ताकि सक्षम लाभार्थी घर बैठें अपना नाम स्वयं हटा सकें।

- गिव अप अभियान के तहत 31 दिसम्बर, 2025 तक 46.95 लाख सक्षम लोगों द्वारा अपना नाम एनएफएसए से हटवाया गया।
- जिलेवार गिव–अप अभियान अंतर्गत स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा सूची से नाम हटवाने वाले अपात्र लाभार्थियों की संख्या :–

क्रसं.	नाम जिला	गिव–अप अभियान अंतर्गत स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा सूची से नाम हटवाने वाले अपात्र लाभार्थियों की संख्या
I	II	III
1	अजमेर	1,21,219
2	अलवर	1,19,066
3	बालोतरा	96,622
4	बांसवाड़ा	89,911
5	बारां	92,028
6	बाड़मेर	1,38,742
7	ब्यावर	91,696
8	भरतपुर	98,665
9	भीलवाड़ा	2,01,716
10	बीकानेर	1,83,861
11	बूंदी	74,580
12	चित्तौड़गढ़	93,464
13	चूरू	1,45,075
14	दौसा	1,11,060
15	डीग	75,240
16	धौलपुर	84,667
17	डीडवाना–कुचामन	1,30,993
18	डूंगरपुर	94,538
19	गंगानगर	1,34,175
20	हनुमानगढ़	1,43,217
21	जयपुर	3,09,192
22	जैसलमेर	45,470
23	जालोर	1,29,771
24	झालावाड़	79,641
25	झुंझुनूं	1,32,779
26	जोधपुर	1,93,950
27	करौली	97,425
28	खैरथल–तिजारा	69,481

29	कोटा	85,351
30	कोटपूतली–बहरोड़	99,519
31	नागौर	1,35,919
32	पाली	1,15,657
33	फलोदी	59,218
34	प्रतापगढ़	51,580
35	राजसमंद	95,941
36	सलूंबर	53,570
37	सवाई माधोपुर	96,200
38	सीकर	1,93,655
39	सिरोही	75,449
40	टोंक	1,03,649
41	उदयपुर	1,51,113
	योग	46,95,065

31 अक्टूबर तक चलेगा अभियान

मिला हक...अब तक 1.5 लाख लोगों ने छोड़ा फ्री गेहूं, 62 हजार नए जुड़े

एक नवम्बर से 30.57 रुपए की दर से होगी वसूली

नाम जोड़ने व हटाने की प्रक्रिया ऑनलाइन

दैनिक भास्कर भीलवाड़ा जिला 16-10-2025

1 वर्ष में 66 लाख ने गिवअप अभियान में नाम हटाया, इसमें भीलवाड़ा जिला प्रथम रहा: मंत्री

गिव अप अभियान की ऐतिहासिक सफलता

37 लाख से अधिक अपात्रों ने स्वप्रेरणा से छोड़ी खाद्य सुरक्षा, 31 अक्टूबर तक चलेगा अभियान

असल हकदारों को मिल रहा लाभ, 65 लाख से अधिक वंचित पात्रों को मिली खाद्य सुरक्षा

अधिकारी संवेदनशीलता के साथ कार्य करें, पात्र व्यक्ति वंचित न रहें: खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री

जिले में गिव-अप अभियान के तहत 218124 लोगों ने स्वेच्छा से छोड़ा खाद्य सुरक्षा का लाभ

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री सुमित गोदारा ने ली खाद्य विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक

प्रत्येक पात्र तक योजनाओं का लाभ पहुंचे, इसलिए कर रहे प्रतिबद्धता से कार्य - गोदारा

Food Supply Minister Reviews Departmental Schemes, Emphasizes 'Give Up Campaign'

खाद्य आपूर्ति मंत्री ने ली विभागीय समीक्षा बैठक, गिव अप अभियान पर जोर

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री सुमित गोदारा ने बुधवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में विभागीय समीक्षा बैठक ली। मंत्री ने गिव अप अभियान और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि वास्तविक जरूरतमंद परिवारों तक खाद्य सुरक्षा का लाभ प्रभावी ढंग से पहुंचे। मंत्री ने कहा कि राशन वितरण में किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और पात्र उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी समय पर सुनिश्चित कराई जाए। उन्होंने जनजागरण बढ़ाने, पात्रता सूची अद्यतन करने और उपभोक्ता शिकायत निवारण पर भी बल दिया। जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधु ने बताया कि जिले में अब तक गिव अप अभियान और ई-केवाईसी न कराने पर कुल 2,59,283 यूनिट्स एनएफएसए से बाहर की गई हैं। वर्तमान में जिले में कुल 14,15,133 एनएफएसए यूनिट्स सक्रिय हैं। बैठक में मांडल विधायक उदयलाल भड़ाना, शहर विधायक श्री अशोक कोठारी, पूर्व विधायक विट्ठलशंकर अवस्थी, जनप्रतिनिधि प्रशांत मेवाड़ा और रसद विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।

जिले में 59432 व्यक्तियों ने स्वेच्छा से अपना नाम हटाया, 84817 नए लाभार्थी जुड़े

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा मीडिया से हुए रूबरू

2. *खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत पात्र वंचित लाभार्थियों के नाम जोड़े जाने हेतु खाद्य सुरक्षा पोर्टल दिनांक 26 जनवरी 2025 से पुनः खोला जाना:–*

- खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत पात्र वंचित व्यक्तियों, परिवारों को जोड़ने व खाद्य सुरक्षा सूची में शामिल अपात्र परिवारों को हटाने की अपीलीय प्रक्रिया के तहत विभाग द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत लम्बित आवेदनों के निस्तारण/नये नाम जोड़ने हेतु नवीन आवेदन प्राप्त करने के संबंध में 26 जनवरी, 2025 से पोर्टल पुनः खोला गया है। दिनांक 26 जनवरी, 2025 से दिनांक 31.12.2025 कुल 71,95,609 पात्र व्यक्तियों के नाम जोड़ें जा चुके है।
- जिलेवार खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत जोड़े गये नवीन पात्र लाभार्थियों की सूचीः–

क्रसं.	नाम जिला	खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत जोड़े गये नवीन पात्र लाभार्थियों की संख्या
I	II	III
1	अजमेर	162968
2	अलवर	223454
3	बालोतरा	187049
4	बांसवाड़ा	195364
5	बारां	128707
6	बाड़मेर	305108
7	ब्यावर	166388

8	भरतपुर	199161
9	भीलवाड़ा	255317
10	बीकानेर	153863
11	बूंदी	131953
12	चित्तौड़गढ़	152712
13	चूरू	257835
14	दौसा	182069
15	डीग	146838
16	धौलपुर	164543
17	डीडवाना–कुचामन	179740
18	डूंगरपुर	174888
19	गंगानगर	155405
20	हनुमानगढ़	127165
21	जयपुर	312878
22	जैसलमेर	84018
23	जालोर	205730
24	झालावाड़	158163
25	झुंझुनूं	152254
26	जोधपुर	279205
27	करौली	204339
28	खैरथल–तिजारा	108408
29	कोटा	181631
30	कोटपूतली–बहरोड़	111765
31	नागौर	233557
32	पाली	199032
33	फलोदी	97446
34	प्रतापगढ़	103103
35	राजसमंद	100444
36	सलूंबर	59092
37	सवाई माधोपुर	176437
38	सीकर	302469
39	सिरोही	90018
40	टोंक	169539
41	उदयपुर	215554
	योग	7195609

- पात्र वंचित का नाम खाद्य सुरक्षा सूची में जुडने से उन्हें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के साथ–साथ मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना का लाभ मिलना भी सुनिश्चित हो सकेगा।

3. ***राशन डीलर्स को गेंहू वितरण के लिये देय डीलर्स कमीशन मे 10 प्रतिशत की वृद्धिः–*** बजट घोषणा 2025 –26 के बिंदु संख्या 97.05 के तहत प्रदेश में NFSA राशन वितरण का कार्य संभाल रहे राशन डीलर्स के कमीशन में भी 10 प्रतिशत वृद्धि की की घोषणा की गई। घोषणा की अनुपालना मे विभाग द्वारा आदेश क्रमांक F 40(10)खा. ले/नीति/बजट घोषणा/2025–26 दिनांक 18.03.2025 के माध्यम से उचित मूल्य दुकानदारो को देय कमीशन मे 10 प्रतिशत वृद्धि के आदेश जारी किये जा चुके है एवं विभाग द्वारा उचित मूल्य दुकानदारों को देय अतिरिक्त कमीशन हेतु माह दिसम्बर, 2025 तक 17. 10 करोड़ रूपये जारी किये जा चुके हैं।

वास्तविक आय–व्यय एवं बजट प्रावधान

वित्तीय वर्ष 2022–23 एवं 2023–24 का व्यय तथा वित्तीय वर्ष 2023–24 के आय–व्ययक अनुमान एवं संशोधित बजट अनुमान तथा 2024–25 के आय–व्ययक अनुमान का विवरण संलग्न है। कुल व्यय का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार हैः–

वित्तीय वर्ष 2023–24, 2024–25 एवं वित्तीय वर्ष 2025–26 (माह दिसम्बर, 2025 तक) का व्यय तथा वित्तीय वर्ष 2024–25 एवं 2025–26 का बजट प्रावधान

(राशि लाखों में)

व्यय बजट शीर्ष /उपशीर्ष	वास्तविक व्यय 2023–24	आय–व्ययक अनुमान 2024–25	संशोधित प्रावधान 2024–25 (अतिरिक्त + पुर्नविनियोजन प्रावधान सहित)	वास्तविक व्यय 2024–25	आय–व्ययक अनुमान 2025–26 (अतिरिक्त + पुर्नविनियोजन प्रावधान सहित)	दिनांक 31.12. 2025 तक व्यय (IFMS के अनुसार)
3456– सिविल आपूर्ति, –00– 001–निदेशन तथा प्रशासन, (01) खाद्य आयुक्त के माध्यम से						
[01]- मुख्यालय कर्मचारी वर्ग – प्रतिबद्ध (राज्य निधि)	697.32	837.90	729.76	716.16	822.40	673.40
[02]- जिला कर्मचारी वर्ग – प्रतिबद्ध (राज्य निधि)	4297.39	4003.53	4429.43	3977.06	4293.53	3398.62
[02]- जिला कर्मचारी वर्ग– प्रभृत व्यय – प्रतिबद्ध (राज्य निधि)	5.64	0.01	69.62	69.55	15.94	15.93
[04]- उपभोक्ता मामलात निदेशालय – प्रतिबद्ध (राज्य निधि)	32.62	65.41	55.40	46.83	60.41	48.41
[07]- उपभोक्ता संरक्षण– प्रतिबद्ध– राज्य निधि	3470.01	4401.12	3829.53	3369.08	4154.55	2661.88
3475– अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें, –00– 106– भार एवं माप का विनियमन, (01) उपभोक्ता मामले विभाग, प्रतिबद्ध (राज्य निधि)						

[04]– प्रधान कार्यालय– प्रतिबद्ध (राज्य निधि)	58.47	74.35	107.00	95.63	96.75	67.28
[06]– जिला कार्यालय– प्रतिबद्ध (राज्य निधि)	337.28	465.42	350.40	281.42	380.42	204.17
2059–80–053–46–01–21	4.66	100.00	100.00	48..69	0.00	0.00
योग (दत्तमत)	**8897.75**	**9947.73**	**9601.52**	**8486.18**	**9808.06**	**7053.76**
योग (प्रभृत)	**5.64**	**0.01**	**69.62**	**69.55**	**15.94**	**15.93**
– प्रतिबद्व (राज्य निधि) मद की योजनायें						
3456–00–102–(02)–[09]–49 केरोसीन परिवहन समानीकरण राशि का भुगतान	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00
योग (प्रतिबद्ध– राज्य निधि मद की योजनाऍं)	**0.00**	**0.01**	**0.00**	**0.00**	**0.01**	**0.00**
महा योग (अ)	**8903.39**	**9947.75**	**9671.14**	**8555.73**	**9824.01**	**7069.69**

राज्य निधि मद की योजनाऐं:–						
सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कम्प्यूटराईजेशन						
3456-00-102-(02)-[08]-62	8280.00	2671.00	2752.15	924.15	1663.00	118.72
3456-00-789-(01)-[06]-62	0.00	0.01	0.00	0.00	570.00	20.71
3456-00-796-(01)-[06]-62	0.00	0.01	0.00	0.00	460.00	16.11
योग (सा.वि.प्र.कम्प्यू.)	**8280.00**	**2671.02**	**2752.15**	**924.15**	**2693.00**	**155.54**
मुख्यमंत्री गैस सिलण्डर योजना						
3456-00-102-(10)-[01]-91	25918.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3456-00-789-(05)-[01]-91	24270.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3456-00-796-(05)-[01]-91	11331.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
योग (सा.वि.प्र.कम्प्यू.)	**61520.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
रसोई गैस सिलेण्डर योजना						
3456-00-102-(11)-[01]-91	0.00	30000.00	16979.07	16739.39	44000.00	40409.14
3456-00-789-(06)-[01]-91	0.00	27000.00	14000.00	13796.09	15500.00	14341.21
3456-00-796-(06)-[01]-91	0.00	15000.00	9820.00	9684.69	12500.00	12499.70
योग (रसाई गैस सिलेण्डर योजना)	**0.00**	**72000.00**	**40799.07**	**40220.17**	**72000.00**	**67250.05**
राजस्थान कृषक समर्थन योजना						
3456-00-102-(13)-[01]-12	0.00	12200.00	9700.00	8066.01	17157.87	17157.87
3456-00-789-(08)-[01]-12	0.00	4400.00	4400.00	2666.66	9804.50	9804.50
3456-00-796-(08)-[01]-12	0.00	3400.00	3400.00	2067.33	7353.37	7353.37
योग (राजस्थान कृषक समर्थन योजना)	**0.00**	**20000.00**	**17500.00**	**12800.00**	**34315.74**	**34315.74**
मुख्यमंत्री निःशुल्क राशन किट योजना						
3456-00-102-(09)-[01]-61	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
3456-00-789-(04)-[01]-61	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
3456-00-796-(04)-[01]-61	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
योग (मुख्यमंत्री निःशुल्क राशन किट योजना)	**0.00**	**0.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

खाद्य, नागरिक आपूति एवं उपभोक्ता मामले विभाग से कार्यालय भवनों हेतु (3407)						
4059-01-051-05-01-72	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
4059-01-789-04-01-72	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00
4059-01-796-05-01-72	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
योग (खाद्य, नागरिक आपूति एवं उपभोक्ता मामले विभाग से कार्यालय भवनों हेतु (3407)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150.00**	**0.00**
3456-00-190-(01)-[00]-12 राज. राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड को सहायतार्थ अनुदान	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00
5475-00-190-(03)-[00]-73 रा.रा.खा. एवं ना.आ.नि.लि. में पूँजी विनियोजन	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00
सार्वजनिक वितरण प्रणाली में तकनीकी के माध्यम से आधुनिकीकरण एवं सुधार (स्मार्ट पी.डी.एस)						
क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर						
3456-00-102-(12)-[01]-62	0.00	24.80	0.00	0.00	49.60	0.00
3456-00-789-(07)-[01]-62	0.00	8.40	0.00	0.00	16.80	0.00
3456-00-796-(07)-[01]-62	0.00	6.80	0.00	0.00	13.60	0.00
योग (क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर)	**0.00**	**40.00**	**0.00**	**0.00**	**80.00**	**0.00**
इन्स्ट्रीटयूशनल सेटअप एण्ड केपेसिटी बिल्डिंग						
3456-00-102-(12)-[02]-62	0.00	39.05	38.48	8.95	38.48	15.51
3456-00-789-(07)-[02]-62	0.00	13.00	13.04	2.98	13.04	0.00
3456-00-796-(07)-[02]-62	0.00	10.00	10.54	2.29	10.54	0.00
योग (इन्स्ट्रीटयूशनल सेटअप एण्ड केपेसिटी बिल्डिंग)	**0.00**	**62.05**	**62.06**	**14.22**	**62.06**	**15.51**
कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर						
3456-00-102-(12)-[03]-62	0.00	21.08	0.00	0.00	42.16	0.00
3456-00-789-(07)-[03]-62	0.00	7.14	0.00	0.00	14.28	0.00
3456-00-796-(07)-[03]-62	0.00	5.78	0.00	0.00	11.56	0.00
योग (कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर)	**0.00**	**34.00**	**0.00**	**0.00**	**68.00**	**0.00**
योग (स्मार्ट पी.डी.एस)	**0.00**	**136.05**	**62.06**	**14.22**	**210.06**	**15.51**
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना						
3456-00-102-(07)-[01]-44	1387.50	2355.00	2702.00	1862.90	2030.00	1587.14
3456-00-789-(03)-[02]-44	1043.43	2050.00	2358.00	1118.85	1760.00	1639.12
3456-00-796-(03)-[02]-44	698.96	1330.00	1524.00	684.17	1140.00	1037.41
3456-00-102-(07)-[02]-44	11510.00	19663.00	18240.00	16693.37	16400.00	14618.31
3456-00-789-(03)-[03]-44	2394.68	4215.00	5952.00	2049.67	4858.88	4157.11
3456-00-796-(03)-[03]-44	2078.13	3787.00	5124.00	1713.82	3865.91	3432.94
3456-00-102-(07)-[02]-57	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
3456-00-102-(07)-[01]-91	0.00	1100.00	573.00	500.00	0.01	0.00
3456-00-789-(03)-[02]-91	93.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
3456-00-796-(03)-[02]-91	63.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
3456-00-001-(02)-(01)	494.72	653.03	651.50	523.04	721.53	410.77

योग (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना) (दत्तमत)	**19763.42**	**35153.06**	**37124.52**	**25145.82**	**30776.33**	**26882.80**
5475–00–102–(10)–[00]–72 खाद्य विभाग का आधुनिकीकरण, सुदृढीकरण, नवीनीकरण एवं उन्नयन व्यय (राज्य निधि)	0.00	160.00	160.00	0.69	164.01	123.00
उपभोक्ता मामले विभाग 3456–00–001–(03)–[01] & [02] (राज्य निधि)	161.00	217.94	250.30	191.42	245.75	193.04
योग	**161.00**	**377.94**	**410.30**	**192.11**	**409.76**	**316.04**
3456-00-001-(01)-[03] उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ (राज्य निधि)	3.38	3.38	30.00	6.65	30.00	3.47
5475–00–102–(11)–[01]–(17&18&62)–भार एवं माप	36.34	10.02	9.22	2.47	10.02	8.65
3475–00–106–(01)–[01] (18&20&41)–भार एवं माप का विनियमन	122.66	72.00	50.00	26.03	40.00	37.55
योग	162.38	85.40	89.22	35.15	80.02	49.67
महा योग (राज्य निधि मद की योजनाएं) (ब)	**89887.70**	**130423.52**	**98737.32**	**79331.62**	**140634.93**	**128985.35**
केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजनायें :–						
5475-00-102-(09)-[00]-17 & 72 उपभोक्ता संरक्षण के राज्य आयोग एवं जिला फोरमो का आधुनिकीकरण, सुदृढीकरण, नवीनीकरण एवं उन्नयन व्यय एवं वृहद निर्माण कार्य (केन्द्रीय सहायता)	405.20	0.02	0.00	0.00	0.02	0.00
3456-00-001-(01)-[06]-11 उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम (केन्द्रीय सहायता)	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00
3456-00-001-(01)-[05] (05व 62) राज्य उपभोक्ता हेल्प लाईन की स्थापना (केन्द्रीय सहायता)	0.00	0.02	0.00	0.00	0.02	0.00
कैरोसीन की सीधी नकद सहायता हस्तान्तरण योजना (केन्द्रीय सहायता) 3456–00–(102–06–01),(789–02–01),(796–02–01)–91	0.00	0.03	0.00	0.00	0.03	0.00
सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कम्प्यूटराईजेशन						
3456-00-102-(02)-[08]-62	0.00	0.01	4.51	4.51	0.01	0.00
3456-00-789-(01)-[06]-62	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00
3456-00-796-(01)-[06]-62	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00
योग (सा.वि.प्र.कम्प्यू.)	**0.00**	**0.03**	**4.53**	**4.51**	**0.03**	**0.00**
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना						
3456-00-102-(07)-[01]-44	2246.47	1805.00	2702.00	2310.21	1770.00	1346.64
3456-00-789-(03)-[02]-44	1997.19	1572.00	2358.00	1621.91	1540.00	1447.94
3456-00-796-(03)-[02]-44	1264.00	1018.00	1524.00	1017.74	990.00	918.19
3456-00-102-(07)-[02]-44	18839.27	15071.00	20740.00	18269.76	13560.00	10984.03
3456-00-789-(03)-[03]-44	4017.90	3230.00	5952.00	3355.11	4298.88	3608.95
3456-00-796-(03)-[03]-44	3604.54	3604.54	5124.00	2904.00	3395.91	3009.49
योग (**NFSA**)	**31969.37**	**26300.54**	**38400.00**	**29478.73**	**25554.79**	**21315.24**

सार्वजनिक वितरण प्रणाली में तकनीकी के माध्यम से आधुनिकीकरण एवं सुधार (स्मार्ट पी.डी.एस)						
ँक्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर						
3456-00-102-(12)-[01]-62	0.00	37.20	0.00	0.00	74.40	0.00
3456-00-789-(07)-[01]-62	0.00	12.60	0.00	0.00	25.20	0.00
3456-00-796-(07)-[01]-62	0.00	10.20	0.00	0.00	20.40	0.00
योग (क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर)	**0.00**	**60.00**	**0.00**	**0.00**	**120.00**	**0.00**
इन्स्ट्रीटयूशनल सेटअप एण्ड केपेसिटी बिल्डिंग						
3456-00-102-(12)-[02]-62	0.00	58.60	57.72	13.42	57.72	23.27
3456-00-789-(07)-[02]-62	0.00	19.51	19.56	4.47	19.56	0.00
3456-00-796-(07)-[02]-62	0.00	15.01	15.81	3.44	15.81	0.00
योग (इन्स्ट्रीटयूशनल सेटअप एण्ड केपेसिटी बिल्डिंग)	**0.00**	**93.12**	**93.09**	**21.33**	**93.09**	**23.27**
कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर						
3456-00-102-(12)-[03]-62	0.00	31.62	0.00	0.00	63.24	0.00
3456-00-789-(07)-[03]-62	0.00	10.71	0.00	0.00	21.42	0.00
3456-00-796-(07)-[03]-62	0.00	8.67	0.00	0.00	17.34	0.00
योग (कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर)	**0.00**	**51.00**	**0.00**	**0.00**	**102.00**	**0.00**
योग (स्मार्ट पी.डी.एस)	**0.00**	**204.12**	**93.09**	**21.33**	**315.09**	**23.27**
3456-00-102-(08)-इन्टीग्रेटेड मैनेजमेन्ट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम [01] आई.एम.पी.डी.एस.– 62 कम्प्यूटराईजेशन एवं तत्सम्बंधी संचार व्यय (केन्द्रीय सहायता)	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00
महा योग (केन्द्र सहायता प्राप्त योजनायें) (स)	**32374.57**	**26504.78**	**38497.62**	**29504.57**	**25870.00**	**21338.51**
महा योग (अ+ब+स)	**131165.66**	**166876.05**	**146906.08**	**117391.92**	**176328.94**	**157393.55**

राजस्व मद के अन्तर्गत वर्ष 2022–23, 2023–24, 2024–25 एवं 2025–26 (माह दिसम्बर, 2025 तक) की वास्तविक आय तथा वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक अनुमान

(राशि लाखों में)

बजट मद	वास्तविक आय 2022–23	वास्तविक आय 2023–24	संशोधित अनुमान 2024–25	वास्तविक आय 2024–25	आय–व्ययक अनुमान 2025–26	वास्तविक आय माह दिसम्बर, 2025 तक
1475– अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें, 00–800– अन्य प्राप्तियां						
(01) नगरीय रसद विभागों से प्राप्तियां	30.44	11.84	12.00	10.94	12.00	10.33
(02) विभिन्न लाइसेंसिग आदेश के तहत प्राप्तियां	9.70	2.47	5.00	3.34	5.00	2.65
(04) अन्य विविध प्राप्तियां						
[01] विविध	1577.26	186.43	200.00	151.66	2000.00	109.52
[02] खाद्य विभाग के माध्यम से	25128.75	15930.76	25000.00	559.67	30000.00	1515.82
[03] पोस मशीन की कीमत के पेटे प्राप्तियां	6130.26	0.00	8100.00	4219.50	9000.00	683.05
[04] इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन एवं आइरिश स्कैनर के पेटे प्राप्तियां	0.00	0.00	3000.00	0.00	3000.00	524.79

(05) परिवहन समानीकरण की प्राप्तियां	0.00	0.00	0.10	0.00	0.10	0.00
(06) अन्तर राशि की प्राप्तियां						
[01] खाद्यान्न की अन्तर राशि	0.30	0.97	1.00	0.11	1.00	0.98
[02] केरोसीन की अन्तर राशि	0.52	0.24	0.50	0.14	0.50	0.003
(07) उपभोक्ता संरक्षण में परिवाद फाईल करने हेतु फीस	0.00	0.00	0.10	0.00	0.10	0.00
(50) अनुपयोगी सामानों/वाहनों के निस्तारण से प्राप्तियां						
[01] अनुपयोगी सामान के निस्तारण से प्राप्तियां	0.00	0.00	0.10	0.00	0.10	2.10
[02] अनुपयोगी वाहन के निस्तारण से प्राप्तियां	2.02	16.68	5.00	3.92	5.00	0.39
(51) लोक सेवाओं के प्रदान की गारन्टी अधिनियम के तहत प्राप्तियां						
[01] दोषी कर्मचारी/अधिकारी से वसूली/प्राप्ति	2.22	0.52	0.50	0.17	0.50	0.00
1475– अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें, 00–106–00–00						
–बांटो और मापों के मुद्रांकन के लिए शुल्क	1919.82	1950.75	2000.00	2048.07	2200.00	1606.36
योग	**34801.29**	**18100.66**	**38324.30**	**6997.52**	**46224.30**	**4455.99**

उपभोक्ता मामले विभाग

उपभोक्ता मामले विभाग की स्थापना–परिचय

- उपभोक्ता मामले विभाग वर्ष 1987 से 26.09.2013 तक खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के साथ सम्बद्ध रहा।
- खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग से उपभोक्ता मामले विभाग को विखण्डित कर पृथक किये जाने के लिये मंत्रिमण्डल आज्ञा 205/2013 के क्रम में अधिसूचना दिनांक 26.09.2013 को जारी की गई।
- राज्य की बजट घोषणा वर्ष 2015–16 की क्रियान्विति के क्रम में विधिक मापविज्ञान को भी उपभोक्ता मामले विभाग की कार्य सूची में सम्मिलित करने संबंधी मंत्रिमण्डल आज्ञा 03.06.2015 को जारी कर दी गई तथा दिनांक 24.07.2015 को इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई।
- दिनांक 01 अक्टूबर, 2016 से उपभोक्ता मामले विभाग के अधीन विधिक मापविज्ञान का भौतिक रूप से क्रियान्वयन प्रारंभ किया गया।

उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा संपादित किये जाने वाले कार्य

- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 का क्रियान्वयन।

- विधिक मापविज्ञान अधिनियम–2009 (केन्द्रीय अधिनियम) के अन्तर्गत बनाए गए राजस्थान विधिक मापविज्ञान (प्रवर्तन) नियमों 2011 की क्रियान्विति सुनिश्चित करना।
- उपभोक्ता विषयक योजनाएँ एवं प्रचार–प्रसार।
- उपभोक्ता हितों के संरक्षण के लिये राज्य आयोग, प्रादेशिक शाखा (सर्किट बैंच) एवं जिला आयोगों की प्रशासनिक व्यवस्था ।
- उपभोक्ता मामले विभाग का प्रमुख कार्य उपभोक्ता हितों का सार्वकालिक संरक्षण कर उपभोक्ता जागरूकता विषयक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना है। उपभोक्ता के शोषण के विरूद्ध सुनवाई कर उन्हें न्याय प्रदान करने के साथ उपभोक्ता विषयक योजनाओं से उपभोक्ता आन्दोलन को बढ़ावा देना है।

विभागीय संगठनात्मक ढांचा–

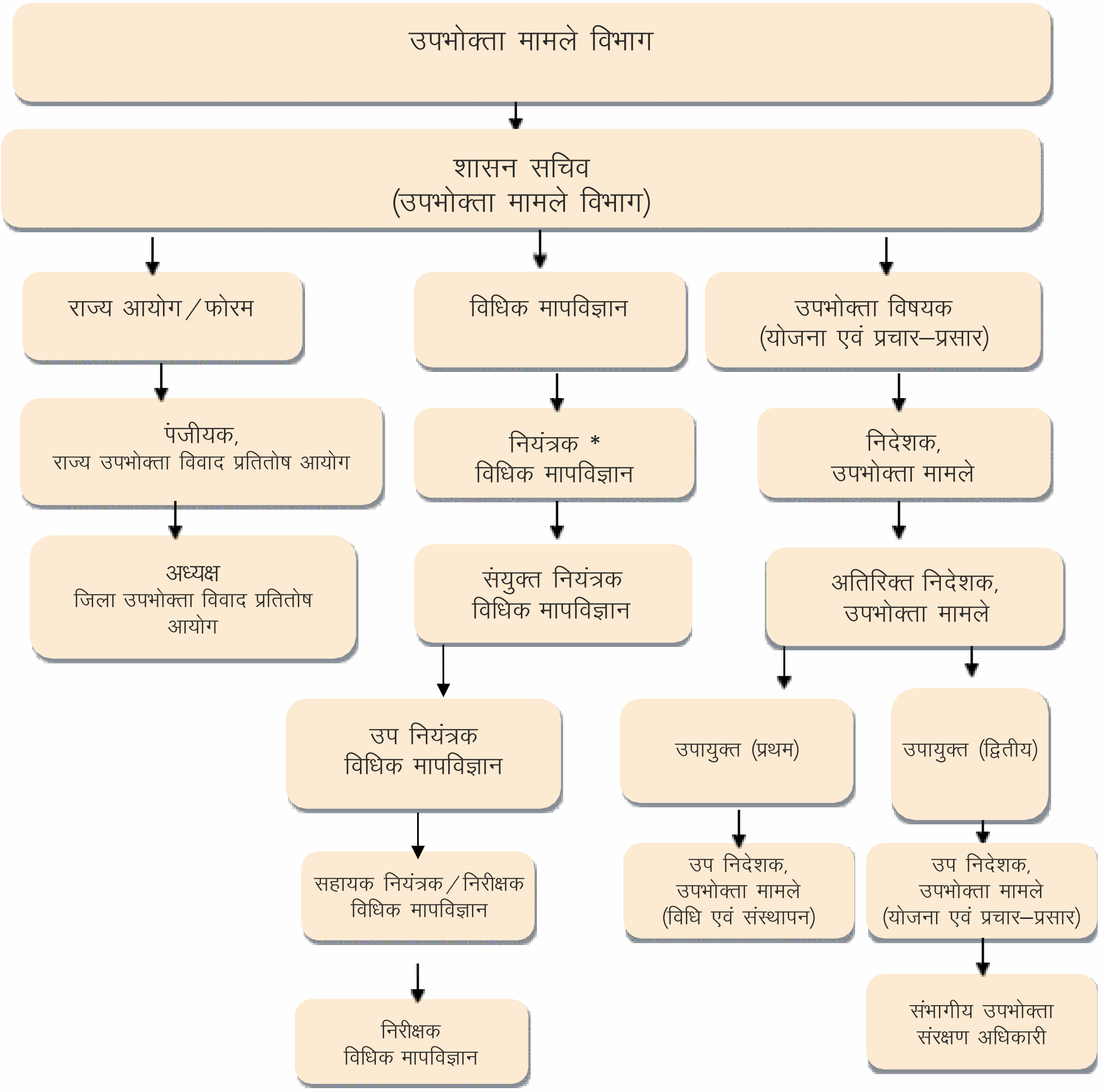

* विभागीय अधिसूचना क्रमांकः 89 (9)उ.मा.वि./एल.एम/2012–पार्ट–II दिनांक 21.09.2016 द्वारा निदेशक, उपभोक्ता मामले विभाग को नियंत्रक, विधिक मापविज्ञान, राजस्थान नियुक्त किया गया है।

उपभोक्ता मामले विभाग में स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण

पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त पद	विशेष विवरण
निदेशक एवं नियंत्रक	01	01	00	–
अतिरिक्त निदेशक पदेन् शासन उप सचिव एवं राज्य उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी	01	00	01	–
मुख्य लेखाधिकारी	01	01	00	–
उपायुक्त	02	02	00	
उप निदेशक एवं पदेन् उप राज्य उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी (विधि, योजना प्रचार–प्रसार, संस्थापन)	02	01	01	–
संभागीय उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी	07	07	00	–
लेखाधिकारी	01	00	01	–
संयुक्त नियंत्रक	01	00	01	–
उप नियंत्रक	01	01	00	–
सहायक नियंत्रक	08	01	07	–
प्रवर्तन अधिकारी	01	01	00	–
निरीक्षक	53	21	32	–
सहायक लेखाधिकारी (द्वितीय)	07	06	01	–
कनिष्ठ विधि अधिकारी	01	00	01	–
सहायक प्रोग्रामर	01	01	00	–
प्रशासनिक अधिकारी	01	00	01	–
अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	02	00	02	–
सहायक प्रशासनिक अधिकारी	04	04	00	–
कनिष्ठ लेखाकार	01	01	00	–
वरिष्ठ सहायक	08	07	01	–
कनिष्ठ सहायक	13	00	13	–
सूचना सहायक	02	00	02	–
प्रयोगशाला सहायक	20	00	20	–
वाहन चालक	07	00	07	–
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	14	00	14	–
भार सहायक	07	00	07	–
सुरक्षा गार्ड	36	08	28	–

राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग एवं जिला उपभोक्ता आयोगों में स्वीकृत एवं रिक्त पदों की स्थिति निम्नानुसार है :–

क्र.सं.	स्वीकृत पदो का नाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1.	अध्यक्ष, राज्य आयोग	01	01	00
2.	सदस्य, राज्य आयोग	10	09	01
3.	अध्यक्ष, जिला आयोग	45	35	10
4.	सदस्य, जिला आयोग	90	53	37
5.	रजिस्ट्रार (आर.एच.जे.एस.)	01	01	00
6.	डिप्टी रजिस्ट्रार (आर.जे.एस.)	02	02	00
7.	संस्थापन अधिकारी	02	00	02
8.	प्रशासनिक अधिकारी	06	04	02
9.	लेखाधिकारी	01	00	01
10.	वरिष्ठ निजी सचिव	02	00	02
11.	निजी सचिव	06	01	05
12.	अतिरिक्त निजी सचिव	08	03	05
13.	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	15	11	04
14.	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	28	25	03
15.	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II	12	12	00
16.	कनिष्ठ लेखाकार	09	01	08
17.	निजी सहायक–I	13	02	11
18.	निजी सहायक–II	31	22	09
19.	रीडर सर्किट बैंच	01	00	01
20.	वरिष्ठ सहायक	52	31	21
21.	कनिष्ठ सहायक	77	35	42
22.	सहायक प्रोग्रामर	01	00	01
23.	वाहन चालक	05	04	01
24.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	153	115	38
25.	चौकीदार	01	01	00
26.	सफाई कर्मचारी	02	02	00
	योग	574	370	204

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 का कियान्वयन

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सम्पूर्ण भारत में (20 जुलाई, 2020) से लागू हो चुका है। जिसके अनुसार राज्य स्तर राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग एवं जिला स्तर पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग गठित किये जाने का प्रावधान है।

वर्तमान में राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (राज्य आयोग) एवं 45 जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (जिला आयोग) स्थापित/अधिसूचित है। यहाँ यह उल्लेखनीय

है कि जयपुर में 04 एवं जोधपुर में 02 जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग स्थापित है। 08 नवीन जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोगों हेतु भवन की अनुपलब्धता के कारण वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर कैम्प कोर्ट प्रारम्भ करने की कार्यवाही की जा रही है। राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की संभागीय मुख्यालयों पर प्रादेशिक शाखाओं (सर्किट बैंच) का गठन किया हुआ है। वर्तमान में जोधपुर (स्थाई बैंच), अजमेर, भरतपुर, उदयपुर, कोटा एवं बीकानेर में सर्किट बैंचे स्थापित हैं।

- ***राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग एवं जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोगों में अध्यक्ष और सदस्यों के रिक्त पदों पर नियुक्ति :—***

  राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग एवं जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोगों में अध्यक्ष और सदस्यों के रिक्त 87 पदों को भरे जाने हेतु राज्य में प्रथम बार वर्ष 2025 में लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया। चयन प्रक्रिया संपादन के पश्चात 69 अभ्यर्थियों की दिनांक 25.04.2025 को नियुक्ति अधिसूचना जारी की गई।

- ***उपभोक्ता न्याय में मीडिएशन प्रारम्भ***

  उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के प्रावधानुसार राज्य सरकार द्वारा मध्यस्थता सैल की स्थापना संबंधी अधिसूचना दिनांक 20.02.2023 को जारी की गई । राज्य आयोग एवं जिला आयोगों के पास पर्याप्त आधारभूत सुविधा—यथा भवन, स्टाफ आदि के अभाव में स्थायी मीडियेशन सैल स्थापित नही किये जा सके। वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर राज्य आयोग

  एवं जिला आयोगों के प्रकरणों में मीडियेशन की कार्यवाही राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से करवायी जा रही है। जिसका शुभारम्भ दिनांक 24 दिसम्बर, 2024 से किया जा चुका है। मीडिएशन के माध्यम से कुल 627 परिवादों का निस्तारण किया जा चुका है।

- ***राज्य आयोग एवं जिला आयोगों के माध्यम से प्रकरणों का निस्तारणः—*** राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में स्थापना से लेकर 30.11.2025 तक कुल 85,271 प्रकरण दर्ज हुये जिनमें से 81,812 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। इसी प्रकार समस्त जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोगों में कुल 5,56,860 प्रकरण दर्ज हुये जिनमें से 5,03,512 प्रकरणों का निस्तारण किया गया।

उपभोक्ता विषयक योजनाएं एवं प्रचार–प्रसार

- ***20.00 करोड़ की राशि से कॉरपस फण्ड की स्थापना***

भारत सरकार, उपभोक्ता मामले विभाग, नई दिल्ली के अ.शा. पत्र दिनांक 08.02.2010 एवं दिनांक 17.12.2017 के निर्देशानुसार उपभोक्ता कल्याण निधि के रूप में केन्द्र एवं राज्य के सहयोग से 10.00 करोड की राशि से ''कॉरपस फण्ड'' स्थापित करने के निर्देशानुसार 75 प्रतिशत केन्द्रीय अंशदान एवं 25 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा जमा करायी गयी, जिससे स्थापित कोष का उपयोग भारत सरकार एवं राज्य सरकार के दिशा–निर्देश के अनुरूप फण्ड की ब्याज राशि से उपभोक्ताओं के कल्याण में व्यय किया जा सके।

भारत सरकार के पत्र दिनांक 24.09.2019 के द्वारा कॉरपस फण्ड की राशि में अतिरिक्त राशि रूपये 10.00 करोड (कुल राशि 10.00+10.00= 20.00 करोड) की स्वीकृति प्रदान किये जाने के फलस्वरूप राज्य सरकार के योगदान की राज्यांश राशि (25:) रूपये 5.00 करोड कॉरपस फण्ड के बैंक खाते में जमा किये गये एवं भारत सरकार द्वारा राशि रूपये 15.00 करोड कॉरपस फण्ड के रूप में दिये गये जिसका कुल मूल राशि 20.00 करोड बैंक में जमा कराकर स्थापना की गयी।

- ***राज्य उपभोक्ता हैल्पलाइन***

राज्य सरकार द्वारा उपभोक्ता को त्वरित राहत प्रदान करने के लिए केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत राज्य उपभोक्ता हैल्पलाइन (18001806030) का प्रारंभ 15 मार्च, 2011 को किया गया। उक्त हैल्पलाइन पर उपभोक्ताओं को निःशुल्क मार्गदर्शन दिया जाता है एवं वैकल्पिक विवाद प्रतितोष व्यवस्था के अन्तर्गत हैल्पलाइन द्वारा उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित विभिन्न शिकायतों का समाधान किया जाता है।

राज्य उपभोक्ता हैल्पलाइन के टोल फ्री नम्बर, 1800–180–6030 एवं 14435 तथा वाट्सएप नम्बर 7230086030 हैं। राज्य उपभोक्ता हैल्पलाइन सोमवार से शनिवार तक (राजकीय अवकाशों के अतिरिक्त) सभी कार्य दिवसों में प्रातः 10.00 से सायंकाल 05.00 बजे तक कार्य करती है।

राज्य उपभोक्ता हैल्पलाइन

15 मार्च, 2011 से लेकर 31 दिसम्बर, 2025 तक हैल्पलाइन पर कुल 77455 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। जिनका परामर्श–सुझाव एवं मार्गदर्शन दिया जाकर 98 प्रतिशत शिकायतों का निस्तारण कर दिया गया है। उपभोक्ताओं के चाहने पर उन्हें राज्य/जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में परिवाद दायर करने हेतु भी मार्गदर्शन दिया जाता है।

- ***कन्ज्यूमर केयर अवार्ड योजना प्रारंभ–***

  उपभोक्ता संरक्षण–संवर्द्धन, प्रोत्साहन एवं प्रोन्नति की दृष्टि से उपभोक्ता क्षेत्र का अब तक का सबसे बडा अवार्ड प्रारंभ किया गया है। योजना के तहत राजकीय श्रेणी में 5 लाख का एक पुरस्कार, स्वायत्तशासी /संस्थागत श्रेणी में राशि रूपये 2 लाख का एक पुरस्कार एवं व्यक्तिगत श्रेणी में राशि रूपये 51 हजार के तीन पुरस्कार प्रदान किये जाने का प्रावधान है।

- **उपभोक्ता संरक्षण (प्रत्यक्ष–बिक्री) दिशा–निर्देश, 2025 जारी**

  उपभोक्ताओं के खिलाफ धोखाधड़ी को रोकने, उपभोक्ताओं के वैध अधिकारों की रक्षा करने एवं उपभोक्ताओं के विरूद्ध अनुचित व्यापार प्रथाओं को प्रतिबंधित करने के लिए उपभोक्ता संरक्षण (प्रत्यक्ष– बिक्री) दिशा–निर्देश, 2025 जारी किये जाकर उपभोक्ता संरक्षण हेतु राज्य स्तरीय निगरानी तंत्र विकसित किया गया।

- **उपभोक्ता संरक्षण और मानकीकरण पर संभाग स्तरीय कार्यशाला**

  माननीय मंत्री महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 07.01.2025 को आयोजित राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद् की बैठक में लिए गए निर्णय की क्रियान्विति के क्रम में उपभोक्ता मामले विभाग एवं भारतीय मानक ब्यूरो, शाखा कार्यालय, जयपुर के संयुक्त तत्वावधान में मानकीकरण के विभिन्न आयाम पर आधारित राज्य के समस्त संभागीय जिला मुख्यालयों पर संभाग स्तरीय कार्यशाला का आयोजन निम्नानुसार किया गयाः–

क्र.सं.	संभाग का नाम	कार्यशाला आयोजन की दिनांक
1.	अजमेर	28.05.2025
2.	भरतपुर	30.05.2025
3.	जयपुर	19.05.2025
4.	जोधपुर	23.05.2025
5.	कोटा	13.05.2025
6.	उदयपुर	16.05.2025
7.	बीकानेर	05.06.2025

संभाग स्तरीय कार्यशाला, जयपुर

संभाग स्तरीय कार्यशाला, अजमेर

संभाग स्तरीय कार्यशाला, अजमेर

संभाग स्तरीय कार्यशाला, बीकानेर

संभाग स्तरीय कार्यशाला, भतरपुर

संभाग स्तरीय कार्यशाला, जोधपुर

संभाग स्तरीय कार्यशाला, जोधपुर

संभाग स्तरीय कार्यशाला, कोटा

संभाग स्तरीय कार्यशाला, कोटा

संभाग स्तरीय कार्यशाला, उदयपुर

संभाग स्तरीय कार्यशाला में भारतीय मानक ब्यूरो के अधिकारियों द्वारा भारतीय मानकों, हॉलमार्किंग, बी.आई.एस. प्रमाणित उत्पादों, बी.आई.एस. केयर एप, उत्पादों पर लगे हुए बी.आई. एस. मानक चिन्हों जैसेः– ISI मार्क के CL/L नंबर, R नंबर एवं अनिवार्य प्रमाणन वाले उत्पादों जैसे हेलमेट, सीमेंट इत्यादि के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी दी गई।

- **स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों के साथ राज्य स्तरीय संवाद कार्यक्रमः–**

  उपभोक्ताओं के सार्वकालिक संरक्षण एवं संवर्द्धन को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 16.06. 2025 को शासन सचिवालय स्थित कॉन्फ्रेन्स हॉल में विभागीय अधिकारियों एवं राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से पधारे उपभोक्ता संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया ।

स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों के साथ राज्य स्तरीय संवाद कार्यक्रम

- कन्ज्यूमर केयर प्रकाशन माला का लोकार्पण (दिनांक 16 जून, 2025)
  - ➢ स्वर्णाभूषणों पर हॉलमार्किंग
  - ➢ बैंकिंग एवं बीमा सेवाओं में उपभोक्ता संरक्षण
  - ➢ साइबर फ्रॉड से सुरक्षा
  - ➢ शुद्ध आहार प्रदर्शिका (सही भोजन–बेहतर जीवन)
  - ➢ ई–कॉमर्स, ऑनलाइन शॉपिंग और उपभोक्ता संरक्षण
  - ➢ माप–तौल एवं पैकेजिंग प्रदर्शिका
  - ➢ मीडिएशन (ईज ऑफ जस्टिस)
  - साइबर फ्रॉड, बैंकिंग धोखाधड़ी, ऑनलाइन शॉपिंग में ठगी इत्यादि के विरूद्ध जागरूकता हेतु विभाग एवं आई.सी.आई.सी.आई. बैंक के संयुक्त तत्वावधान में दिनांक 17.06.2025 को शासन सचिवालय स्थित कॉन्फ्रेन्स हॉल में कार्यशाला का आयोजन किया गया:–

इस कार्यशाला में भाग लेकर उपभोक्ता मामले विभाग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग एवं जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग जयपुर के माननीय अध्यक्षगण एवं सदस्यगण लाभान्वित हुए।

- राष्ट्रव्यापी उपभोक्ता जागरूकता भारत यात्रा का जयपुर आगमनः–

उपभोक्ता जागरूकता भारत यात्रा के जयपुर आगमन के दौरान आयोजित कार्यक्रम

राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस (24 दिसम्बर, 2025) उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा निर्धारित थीम "Efficient and Speedy Disposal through Digital Justice" के आलोक में राज्य के जिला मुख्यालयों पर आयोजित किया गया।

इसके अतिरिक्त उपभोक्ता जागरूकता हेतु विभाग द्वारा समय–समय पर विभिन्न कार्यक्रम एवं गतिविधियों का संपादन किया जाता है, जैसे ; समाचार पत्रों में उपभोक्ता जागरूकता संदेशों का प्रकाशन, राज्य उपभोक्ता हैल्पलाइन के टोल.फ्री नम्बर 14435 एवं 1800–180–6030 तथा व्हाट्सएप नम्बर 7230086030 का प्रचार–प्रसार एवं विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्म (यू.टयूब, विभागीय फेसबुक पेज 'ग्राहक' इन्स्टाग्राम एवं ट्वीटर) पर उपभोक्त्ता जागरूकता संबंधी पोस्ट. अपलोड की जाती है।

विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 का कियान्वयन

- ***विधिक मापविज्ञान के प्रमुख कार्य एवं प्रगति की स्थिति***

राज्य में विधिक मापविज्ञान अधिनियम 2009 एवं इसके अन्तर्गत बने नियमों के अनुसार सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों के तौलने व मापने के उपकरणों का सत्यापन एवं मुद्रांकन करना, निरीक्षण करना, विभाग को प्राप्त शिकायतों की जाँच करना, दोषी व्यापारियों के विरूद्ध अभियोग दर्ज करना, अभियोग कम्पाउण्ड करना, न्यायालय में इस्तगासा प्रस्तुत करना, म्वक्ठ के अन्तर्गत ऑनलाइन बाट व माप विनिर्माता, व्यवहारी, मरम्मतकर्ता के अनुज्ञापत्र जारी/नवीनीकरण करना तथा पैकर पंजीयन करना आदि विभाग के प्रमुख कार्य है।

राजस्व अर्जन (बाट एवं माप सत्यापन एवं मुद्रांकन से)

क्र. स.	वर्ष	बाट व माप पुनः सत्यापन एवं मुद्रांकन के राजस्व लक्ष्य (लाखों में)	बाट व माप पुनः सत्यापन एवं मुद्रांकन के राजस्व लक्ष्य के विपरीत प्रगति (लाखों में)
1	2020–21	1800.00	1569.00
2	2021–22	1800.00	1649.31
3	2022–23	1800.00	1894.65
4	2023–24	1800.00	1952.75
5	2024–25	1800.00	2048.14
6.	2025–26	2352	1583.89 (01 अप्रेल, 2025 से 31 दिसम्बर, 2025 तक)

कंज्यूमर केयर अभियान

विधिक मापविज्ञान प्रकोष्ठ, उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा प्रदेश भर में राज्य स्तरीय कन्ज्यूमर केयर अभियान का आयोजन दो चरणो में किया गया। इस अभियान के मुख्य उदेश्य राज्य के उपभोक्ता के हितों की रक्षार्थ बाट–माप अनियमितताओं को रोकने हेतु प्रथम चरण का दिनांक 06.08.2025 से 08.08.2025 तक आयोजन किया गया। इस दौरान राज्य में कुल 332 निरीक्षण किये, जिनमें 205 प्रकरण दर्ज किये गये तथा कुल 5,77,500/– रूपये की शास्ति लगायी गई। द्वितीय चरण दिनांक 13.10.2025 से 19.10.2025 तक आयोजित किया गया। इस दौरान कुल 596 फर्मो पर निरीक्षण कार्यवाही की गई, जिसमें 378 फर्मो पर प्रकरण दर्ज किये गये तथा कुल 8.90 लाख रूपये की शास्ति लगायी गई।

इस प्रकार प्रदेश भर में इन अभियानो के तहत दोनों चरणों में कुल 928 फर्मो पर निरीक्षण कार्यवाही की गई, जिसमें कुल 583 फर्मो पर प्रकरण दर्ज किये गये तथा कुल 13 लाख 67 हजार 500 रूपये का जुर्माना लगाकर राजस्व का अर्जन किया गया।

- **EoDB के अन्तर्गत बाट या माप के संबंध में जारी अनुज्ञापत्रों और पैकर पंजीकरण की संख्या की स्थिति (दिसम्बर 2017 से):–**

EoDB के अन्तर्गत प्रतिवर्ष राज्य के नोडल विभाग 'उद्योग विभाग' द्वारा प्रेषित BRAP बिन्दुओं की क्रियान्विति की जाती है इस सम्बन्ध में जारी आदेशों को विधिक मापविज्ञान की वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है।

विधिक मापविज्ञान की कार्यप्रणाली को पारदर्शी एवं सुदृढ़ बनाने एवं उपभोक्ता तथा व्यापारियों को आने वाली कठिनाईयों को दूर करने हेतु राज्य के तौलने एवं मापने के उपकरणों के विनिर्माता, व्यवहारी (ट्रेडर्स) तथा मरम्मतकर्ता के अनुज्ञापत्रों को ऑनलाइन जारी/नवीनकरण का कार्य तथा विधिक मापविज्ञान (डिब्बा बन्द वस्तुएँ) नियम 2011 के अन्तर्गत डिब्बा बन्द वस्तुओं के आयातक, विनिर्माता/उत्पादनकर्ता एवं पैकर्स के लिए किये जाने वाले पंजीयन का कार्य अब विधिक मापविज्ञान के द्वारा Ease of Doing Business (EoDB) के अन्तर्गत वेबसाइट WWW.SSO.rajasthan.gov.in तथा वर्तमान में राज निवेश के माध्यम से पूर्णतः ऑनलाइन कर दिया गया है। आवेदन पूर्ण होने की स्थिति में समस्त लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन 30 दिवस में बिना किसी भौतिक निरीक्षण व भौतिक सम्पर्क के विभाग द्वारा जारी व नवीनीकरण (न्यू, रिन्यू व संशोधन) किये जा रहे हैः–

क्र.स.	विवरण	संख्या (प्रारंभ से 31 दिसम्बर 2025 तक)
1.	बाट या माप व्यवहारी	2287
2.	बाट या माप मरम्मतकर्ता	992
3.	बाट या माप विनिर्माता	374
4.	पैकर पंजीयन पंजीकरण	1002

अन्य योजनाएं

क्र. स.	प्रयोगशाला/ टावर	संचालित	अतिरिक्त प्रस्तावित	विवरण
1	कार्यकारी मानक प्रयोगशाला	34	–	08 कार्यकारी मानक प्रयोगशालाएं केन्द्र सरकार की राज सहायता से बनकर तैयार हो चुकी है, शेष के लिए राज्य सरकार से भूमि आवंटन/निर्माण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
2	द्वितीयक मानक प्रयोगशाला	05	02	राज्य सरकार से भूमि आवंटन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
3.	कैलिब्रेशन टावर	02	04	02 कैलिब्रेशन टावर जयपुर व कोटा मे राज्य सरकार के स्तर पर निर्मित हो चुके है एवं अन्य 04 स्थानों पर भूमि आवंटन प्रक्रियाधीन है। जहां वर्तमान में ऑयल कम्पनी के डिपों पर कैलिब्रेशन कार्य किया जा रहा है।

दवाओं और गहनों की गु... की नियमित जांच हो: गोदारा

ब्यूरो/नवज्योति, जयपुर। खाद्य मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि आगामी समय में शादियों के सीजन को ध्यान में रखते हुए ज्वेलरी की गुणवत्ता की जांच के लिए अभियान शुरू करें। गोदारा मंगलवार को सचिवालय में राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद की बैठक में अधिकारियों को सम्बोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि ग्रामीण परिवेश के लोग अपनी आय का ज्यादा धन ज्वेलरी खरीदने में खर्च करते हैं। वो किसी भी प्रकार से ठगी के शिकार नहीं हो इसके लिए उन्हें जागरूक करना जरूरी है। साथ ही निर्देश दिए कि दुकानदार के उपभोक्ता को दिए बिल पर हॉल मार्क की जानकारी अवश्य लिखी होनी चाहिए। बिल पर उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर अंकित किए जाए, सभी को यह जानकारी होनी चाहिए कि यदि आप उत्पाद से संतुष्ट नहीं है तो हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज करवा सकते है। दवाइयों की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए और पनीर, दूध तथा मावा की रैंडमली जांच के साथ ही बीमा क्लेम व रियल एस्टेट के प्रकरणों का निस्तारण भी शीघ्रता से किया जाए।

उन्होंने बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए वीसी के माध्यम सुनवाई की व्यवस्था शुरू करने के बारे में कहा कि यह बुजुर्गों के लिए लाभदायक सिद्ध होगी। समय समय पर उपभोक्ताओं की जागरूकता के लिए संभाग स्तर पर कार्यशालाएं और ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यक्रम आयोजित हों। ऑनलाइन शॉपिंग में होने वाली ठगी पर चिंता जताते हुए कहा कि किसी भी प्रकार की साइबर ठगी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1930 पर सूचित करें। राज्य में कुल 36 साइबर स्टेशन क्रियाशील है और कुल 1930 साइबर कमांडो तैयार किए जा रहे है। प्रमुख सचिव सुबीर कुमार ने कहा कि विश्व उपभोक्ता दिवस पर 15 फरवरी से 15 मार्च तक उपभोक्ता माह के रूप में मनाया जाएगा।

...का फैसला: यात्रियों को बड़ी राहत

एयरपोर्ट पर पिक एंड ड्रॉप वसूली अवैध, ठेकेदार पर 2.20 लाख का जुर्माना

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

जोधपुर. उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। जोधपुर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (द्वितीय) ने एयरपोर्ट पर पिक एंड ड्रॉप सुविधा के नाम पर होने वाली मनमानी वसूली को अवैध करार दिया है। आयोग ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआइ) को देशभर में सुधार लागू करने के निर्देश दिए हैं।

परिवादी श्रीधर मेहता ने शिकायत की थी कि उनका वाहन 6 मिनट की नि:शुल्क अवधि से पहले ही जोधपुर एयरपोर्ट से बाहर निकल गया, इसके बावजूद 30 रुपये वसूले गए। आयोग ने इसे अनुचित व्यापार व्यवहार मानते हुए पार्किंग ठेकेदार को 30 रुपए वापस देने, 2 लाख रुपए राज्य उपभोक्ता कल्याण निधि में जमा कराने और 20 हजार रुपए मानसिक प्रतितोष देने का आदेश दिया। आयोग अध्यक्ष डॉ. यतीश कुमार शर्मा और सदस्य डॉ. अनुराधा व्यास ने कहा कि उपभोक्ता सुविधा को राजस्व संग्रह का साधन नहीं बनाया जा सकता।

पढ़ें एयरपोर्ट @ पेज 17

राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के उपलक्ष्य में जिलाधीश कोटा पीयूष सामरिया की अध्यक्षता में उपभोक्ता संरक्षण परिषद की बैठक आयोजित की गई

राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई संगोष्ठी

डिजिटल न्याय: अब घर बैठे दर्ज करें शिकायत

संगोष्ठी में उपभोक्ताओं को बताए नए अधिकार

भरतपुर. संगोष्ठी में मौजूद अधिकारी।

राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर जिला उपभोक्ता संरक्षण समिति की ओर से उपभोक्ता अधिकारों को लेकर जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से संगोष्ठी का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला उपभोक्ता मंच के अध्यक्ष आलोक उपाध्याय की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। संगोष्ठी में इस वर्ष भारत सरकार द्वारा निर्धारित थीम "Efficient and Speedy disposal through Digital Justice" पर विस्तृत चर्चा की गई। जिला उपभोक्ता मंच के अध्यक्ष आलोक उपाध्याय ने कहा कि डिजिटल तकनीक के प्रभावी उपयोग से उपभोक्ता मामलों के निस्तारण में पारदर्शिता, गति और सुगमता आई है।

उन्होंने बताया कि अब उपभोक्ताओं को न्याय पाने के लिए बार-बार कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। मुख्य वक्ता के रूप में विधि महाविद्यालय की सहायक आचार्य सोनी मेघा ओझिवानी एवं मनीष सिंह ने कहा कि ई-फाइलिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑनलाइन सुनवाई जैसी व्यवस्थाओं ने आम उपभोक्ता को न्याय तक सीधे पहुंच प्रदान की है। इससे समय और खर्च दोनों की बचत हो रही है। अखिल गोपाल (सर्वेश संस्थान), अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के घनश्याम शर्मा और उर्मी सेवा संस्थान के योगेश दीक्षित ने भी अपने विचार रखे।

कार्यक्रम का संचालन कवि जय सारस्वत ने किया। कार्यक्रम में अतिरिक्त जिला कलेक्टर घनश्याम शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, विधि महाविद्यालय के सहायक आचार्य, उपभोक्ता संरक्षण से जुड़े संगठनों के प्रतिनिधि, स्वयंसेवी संस्थाएं और विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। अंत में जिला रसद अधिकारी पवन अग्रवाल एवं संभागीय उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी ने सभी प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया।

उपभोक्ता अधिकारों और कर्तव्यों पर जोर...

संगोष्ठी में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों, उपभोक्ता अधिकारों और कर्तव्यों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। वक्ताओं ने उपभोक्ताओं से अपील की कि वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें और किसी भी प्रकार की उपभोक्ता शिकायत के समाधान के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का अधिक से अधिक उपयोग करें। वक्ताओं ने बताया कि उपभोक्ता अपनी शिकायतें ई-जागृति ई-दाखिल पोर्टल, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1915, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन मोबाइल एप और 181 संपर्क पोर्टल के माध्यम से दर्ज करा सकते हैं।

क्लेम न चुकाने पर बीमा कंपनी को देना होगा 90 हजार रुपए का भुगतान

मानसिक प्रताड़ना व परिवाद व्यय के 30 हजार रुपए अलग से चुकाने होंगे

श्रीगंगानगर @ पत्रिका. इंश्योरेंस कंपनी को उपभोक्ता का बीमा क्लेम खारिज करना महंगा पड़ा। उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने इंश्योरेंस कंपनी को इलाज के बिल 90 हजार 307 रुपए दो माह में अदा करने और इस पर डिस्चार्ज की तारीख से निर्णय तक की अवधि का 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देने का आदेश दिया है। इसके साथ ही मानसिक प्रताड़ना के लिए 20 हजार और परिवाद व्यय के 10 हजार रुपए भी चुकाने होंगे।

यह आदेश आयोग के अध्यक्ष साहबराम मोटयार, सदस्य दीपक कुमार व परमजीत कौर की बैंच ने सुनाया। परिवादी 4 मई 2021 को तबीयत खराब होने पर पीएमजी सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल में भर्ती... मल्टी सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल में स्थानांतरित किया गया। इलाज के बाद 13 मई को छुट्टी मिली। दोनों अस्पतालों का कुल 90 हजार 307 रुपए का बिल बना।

क्लेम के लिए ये बिल ऑनलाइन आदित्य बिरला हैल्थ इंश्योरेंस कंपनी को भेजे गए। बीमा कंपनी के कर्मचारी ने परिवादी से ऑफलाइन फॉर्म पर हस्ताक्षर भी करवाए। 10 जून को ईमेल कर बताया गया कि क्लेम 30 दिन में निपटाया जाएगा, लेकिन 30 जुलाई को ओरिजिनल बिल मांगे गए। अस्पतालों ने जवाब दिया कि डिस्चार्ज के समय ही बिल दे दिए थे। बावजूद इसके कंपनी ने क्लेम खारिज कर दिया। इस पर उपभोक्ता आयोग में परिवाद दायर किया गया। आयोग ने बीमा कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में निर्णय देते हुए दो माह में भुगतान का आदेश दिया है।

फोटो-वीडियो देखने के लिए क्यूआर कोड...

डिजिटल न्याय से उपभोक्ताओं को मिल रही राहत

राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर संगोष्ठी

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

भरतपुर. संगोष्ठी में मौजूद अधिकारी एवं अन्य।

भरतपुर. राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर जिला उपभोक्ता संरक्षण समिति की ओर से बुधवार को कलक्ट्रेट सभागार में संगोष्ठी की गई। अध्यक्षता जिला उपभोक्ता मंच के अध्यक्ष आलोक उपाध्याय ने की। इस वर्ष भारत सरकार की ओर से निर्धारित थीम 'एफिशिएंट एंड स्पीडी थ्रू डिजिटल जस्टिस रही'। इस पर वक्ताओं ने विचार रखे।

जिला उपभोक्ता मंच के अध्यक्ष आलोक उपाध्याय ने कहा कि डिजिटल तकनीक के प्रभावी उपयोग से उपभोक्ता मामलों के निस्तारण में पारदर्शिता, गति और सुगमता आई है। अब उपभोक्ताओं को न्याय पाने के लिए लंबी और जटिल प्रक्रियाओं से नहीं गुजरना पड़ता। मुख्य वक्ता के रूप में विधि महाविद्यालय की सहायक आचार्य सोनी मेघा ओझिवानी एवं मनीष सिंह ने कहा कि ई-फाइलिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑनलाइन सुनवाई जैसी व्यवस्थाओं ने आम उपभोक्ता को न्याय तक शीघ्र पहुंच प्रदान की है। उन्होंने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों, उपभोक्ता अधिकारों और कर्तव्यों पर भी प्रकाश डाला। वक्ताओं ने उपभोक्ताओं से अपील की कि वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें और किसी भी प्रकार की उपभोक्ता शिकायत के समाधान के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का अधिक से अधिक उपयोग करें। उन्होंने बताया कि ई-जागृति, ई-दाखिल पोर्टल, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1915, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन मोबाइल एप तथा 181 संपर्क पोर्टल के माध्यम से शिकायतें दर्ज कराई जा सकती है। संगोष्ठी में अतिरिक्त जिला कलक्टर घनश्याम शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, विधि महाविद्यालय के सहायक आचार्य, उपभोक्ता संरक्षण से जुड़े संगठनों के प्रतिनिधि, स्वयंसेवी संस्थाओं के पदाधिकारी तथा उपभोक्ताओं से संबंधित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। अखिल गोपाल सर्वेश संस्थान, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के घनश्याम शर्मा और उर्मी सेवा संस्थान के योगेश दीक्षित ने भी अपने विचार रखे। संचालन कवि जय सारस्वत ने किया। अंत में जिला रसद अधिकारी पवन अग्रवाल और संभागीय उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी संजीव शर्मा ने आभार जताया।

राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड

—: एक परिचय :—

1. निगम की स्थापना :

माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार की वर्ष 2010—11 की बजट घोषणा की क्रियान्विति के क्रम में राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रभावी एवं सुदृढ बनाने हेतु राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि0 की दिनांक 08.12.2010 को स्थापना की गई थी।

राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि0 का रजिस्ट्रेशन दिनांक 08.12.2010 को कंपनी एक्ट की धारा 617 के अन्तर्गत किया गया है तथा रजिस्ट्रार कम्पनी मामले, राजस्थान जयपुर से दिनांक 27.12.2010 को निगम द्वारा व्यापार प्रारम्भ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया।

2. निगम की अंश पूँजी :

निगम की अधिकृत अंश पूँजी 100 करोड रूपये है। वर्तमान में प्रदत्त अंश पूँजी 50 करोड रूपये है। 50 करोड रूपये के अंशों में से 49.93 करोड रूपये के अंश महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम हैं तथा शेष 7.00 लाख रूपये के अंश निगम के सात सदस्यों के नाम है।

3. निगम का संचालक मण्डल :

क्र.सं.	पद नाम	संचालक मण्डल में पद
1.	शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग	अध्यक्ष
2.	शासन सचिव, कृषि विभाग	निदेशक
3.	शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग	निदेशक
4.	प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम	निदेशक
5.	रजिस्ट्रार सहकारी समितियॉ	निदेशक
6.	प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि.	निदेशक
7.	संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय—I) विभाग	निदेशक

4. निगम के कार्य एवं उददेश्य :

4.1 निगम भारत सरकार द्वारा आवंटित खाद्यान्न का भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से उठाव कर पूरे प्रदेश में उचित मूल्य की दुकानों पर आपूर्ति करेगा। निगम परिवहन व आपूर्ति हेतु आवश्यक निविदायें एवं ठेके आदि की कार्यवाही सम्पन्न करेगा।

4.2 राज्य के उपभोक्ताओं के उपयोग हेतु निगम गैर पी.डी.एस. सामग्री, बडे निर्माताओं (Manufacturers) से क्रय कर बाजार से सस्ते दामों पर उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से उपलब्ध करायेगा।

4.3 चूंकि उचित मूल्य की दुकानों पर प्रभावी आपूर्ति एवं व्यवस्था बनाना निगम का दायित्व होगा, अतः निगम तहसील स्तर पर जहाँ केन्द्रीय भण्डारण निगम या राज्य भण्डारण निगम के गोदाम उपलब्ध नही है वहाँ राशन सामग्री के भण्डारण हेतु गोदाम आदि किराये पर लेने की व्यवस्था करेगा। लेकिन जहाँ पर राज्य भण्डारण निगम किराये पर गोदाम लेकर किराये पर उपलब्ध कराने की स्थिति में होगा, वहाँ पर निगम भण्डारण हेतु स्वयं गोदाम किराये पर नहीं लेगा।

4.4 निगम राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप कार्य करेगा।

4.5 बाजार में उपभोक्ता वस्तुओं जैसे दलहन, खाद्य–तेल, चीनी आदि के दाम बढने पर निगम बाजार में हस्तक्षेप कर इन उपभोक्ता वस्तुओं को उपलब्ध कराने का कार्य करेगा।

4.6 इसके साथ ही निगम उचित मूल्य की दुकानों पर राशन सामग्री के अतिरिक्त गैर पी.डी. एस. सामग्री जैसे आयोडाइज्ड नमक, चाय, वाशिंग सोप, पिसे हुए मसालें आदि भी उपलब्ध कराता है ताकि आम उपभोक्ताओं को रोजमर्रा की उपभोक्ता वस्तुएं प्रतिस्पर्धी कीमतों पर प्राप्त हो सके।

4.7 निगम राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये जाने वाले निर्देशों के अन्तर्गत अन्य कार्य भी करेगा।

निगम का प्रशासनिक ढांचा

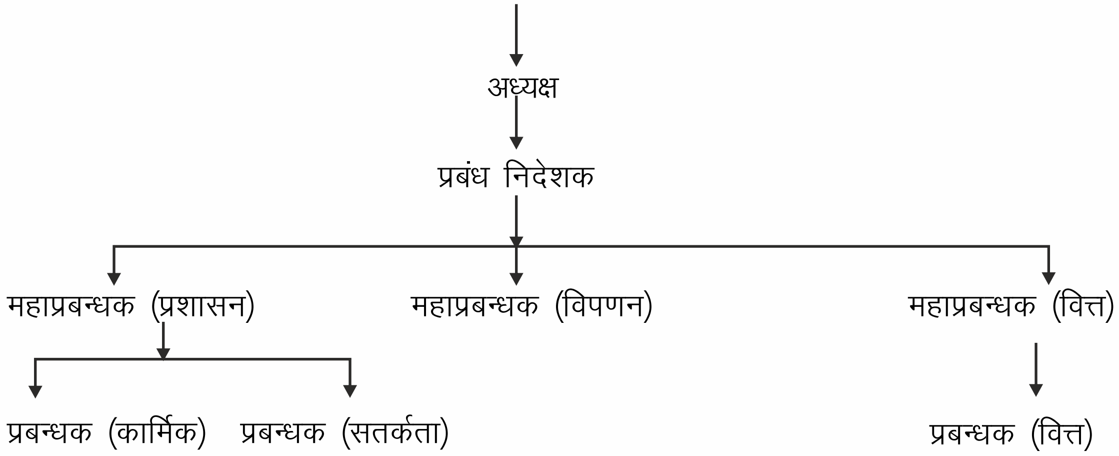

5. निगम में स्वीकृत/कार्यरत तथा रिक्त पदों की स्थिति :

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलें विभाग, शासन सचिवालय राजस्थान सरकार, जयपुर के द्वारा दिनांक 24.11.2010 को निगम के त्रिस्तरीय प्रशासनिक ढांचे के लिए पदों एवं सेवाओं के सृजन की स्वीकृति जारी की गई। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलें विभाग के आदेश दिनांक 24.11.2010, 21.04.2011, 28.06.2011, 24.10.2011, 17.12.2012 एवं 04.06. 2013 के द्वारा निगम हेतु स्वीकृत/कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों का विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र.सं.	कार्यालय स्तर	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	रिक्तियों के कारण अस्थाई व्यवस्था के रूप में कार्यरत कार्मिक
1.	निगम कार्यालय (मुख्यालय)	51	15	36	08
2.	जिला कार्यालय	272	135	137	—
3	तहसील स्तर	498	11	487	निगम की तहसील स्तर पर कोई भी ईकाई कार्यरत नहीं है। जिला स्तर पर कार्यरत सतर्कता निरीक्षक (JCO) तहसील स्तर के स्वीकृत पदों के विरूद्ध कार्यरत है।

6. राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि0 के द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न एवं चीनी के थोक विक्रेता का कार्यः—

1. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत खाद्यान्न की आपूर्तिः—

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत भारत सरकार द्वारा प्रतिमाह लगभग 2.32 लाख मैट्रिक टन गेंहू आवंटन किया जा रहा है। भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से गेंहू का उठाव कर पात्र लाभार्थियों को उपलब्ध कराने हेतु प्रतिमाह उचित मूल्य की दुकानों पर आपूर्ति करने का कार्य राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि. के जिलों में पदस्थापित प्रबंधक नागरिक आपूर्ति के द्वारा थोक विक्रेता के रूप में किया जा रहा है।

माननीय मुख्यमंत्री महोदय की वर्ष 2010—11 की बजट घोषणा के अनुरूप निगम का गठन करते हुये भारतीय खाद्य निगम से गेहूं का उठाव कर तथा चीनी मीलों से लेवी चीनी का उठाव कर उचित मूल्य की दुकानों पर आपूर्ति करने का दायित्व निगम को सौंपा गया था।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान, जयपुर के द्वारा दिनांक 11.04.2011 को आदेश जारी कर राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि. जयपुर को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत केन्द्र सरकार से प्राप्त होने वाले खाद्यान्न/चीनी के उठाव एवं वितरण के लिये सम्पूर्ण राज्य हेतु राज्य स्तरीय प्राधिकृत एजेन्सी के रूप में नियुक्त किया हुआ था। वर्तमान में खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के आदेश दिनांक 09.07.2024 के द्वारा खाद्यान्न उठाव एवं उचित मूल्य दुकानों पर वितरण हेतु परिवहन का कार्य जिला रसद अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान में दिनांक 31.12.2025 तक निगम द्वारा अजमेर, ब्यावर, भीलवाडा, चित्तोडगढ, चुरू एवं झुंझुंनू जिलों में एवं शेष जिलों में जिला रसद अधिकारियों द्वारा परिवहन का कार्य संपादित किया जा रहा है।

2. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत चीनी का वितरण

राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि0 सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत चीनी के वितरण हेतु राज्य सरकार द्वारा नियुक्त नोडल एजेन्सी ;छवकंस ।हमदबलद्ध है। भारत सरकार की योजनान्तर्गत अनुदानित चीनी का वितरण अन्त्योदय अन्न योजना ;।।ल्द्ध परिवारों को किया जाता है जिसके अन्तर्गत प्रति परिवार/प्रतिमाह एक किलोग्राम चीनी का वितरण उचित मूल्य दुकानदारों के माध्यम से किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के पश्चात निगम द्वारा चीनी का क्रय नहीं किया गया है।

7. गैर पीडीएस वस्तुओं का विपणन कार्य :

- निगम द्वारा उचित मूल्य दुकानदारों के माध्यम से आम उपभोक्ताओं को दैनिक उपयोग में काम में आने वाली सामग्री को किफायती दर, गुणवत्तापूर्ण एवं उचित वजन में उपलब्ध करवाने के उदेश्य से नॉन पीडीएस सामग्री वितरण योजना शुरू की गयी थी।
- योजनान्तर्गत निगम के माध्यम से वितरित वस्तुओं को आम जन उपभोक्ता बिना राशन कार्ड निर्धारित दर पर उचित मूल्य दुकान से क्रय कर सकते है।
- निगम द्वारा गैर पीडीएस के तहत बिस्किट, वॉशिंग सॉप, डिटर्जेन्ट पाउडर, टॉयलेट सॉप, रिफाइन्ड आयोडाइज्ड नमक, रिफाइन्ड डबल फोर्टिफाइड नमक, मसाले, चाय उचित मूल्य दुकानदारों के माध्यम से आमजन को आपूर्ति की जाती थी।
- वर्तमान में किसी भी नॉन पीडीएस सामग्री की आपूर्ति निगम द्वारा नहीं की जा रही है।

8. अन्नपूर्णा भंडार योजना

माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार बजट घोषणा वर्ष 2025–26 के बिंदु संख्या 80 के अनुसार ''अल्प आय वर्ग के परिवारों को रोजमर्रा की आवश्यकता का सामान उचित मूल्य पर मिल सके एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत कार्यरत उचित मूल्य दुकानदारों की आर्थिक स्थिति मजबूत बनाने के साथ–साथ उनके माध्यम से जनसाधारण को उच्च गुणवत्ता की मल्टीब्रॉन्ड उपभोक्ता वस्तुएँ उचित एवं प्रतिस्पर्धी दरों पर उपलब्ध'' कराने हेतु 5000 उचित मूल्य की दुकानों पर अन्नपूर्णा भंडार खोले जाने है।

- खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देश दिनांक 25.03.2025 तथा मानक संचालन प्रकिया एंव (SOP) व प्रशासनिक स्वीकृति आदेश क्रमांक एफ 13( )खावि/बजट घोषणा/2025–26 दिनांक 14.05.2025 को जारी।
- अन्नपूर्णा भंडार खोले जाने हेतु उचित मूल्य दुकानदारों का अन्नपूर्णा भंडार के रूप में रजिस्ट्रेशन राशि 2500/– रू. रजिस्ट्रेशन फीस (रिफन्डेबल) में रजिस्ट्रेशन करवाया जा रहा है। दिनांक 15.12.2025 तक लगभग 2313 (कुल 5000 दुकानों के लक्ष्य का 46.26 प्रतिशत) उचित मूल्य दुकानदारों द्वारा उक्त योजना हेतु रजिस्ट्रेशन करवाया जा चुका है।

- राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा अन्नपूर्णा भंडार योजना के संचालन हेतु प्रथम EOI (Expression of Interest) दिनांक 16.05.2025 को जारी की जाकर अंतिम रूप से सफल तीन फर्मों का Empanelment किया जा चुका हैं।
- उक्त प्रथम ईओआई में एफएमसीजी उत्पाद आपूर्ति करने वाली फर्में सीमित होने के कारण निगम द्वारा द्वितीय ईओआई दिनांक 08.07.2025 को जारी की गई जिसमें 06 फर्मों तकनीकी रूप से सफल पाई गई थी।
- प्रथम EOI में Empanelled व द्वितीय EOI में तकनिकि रूप से सफल फर्मो के उत्पाद सीमित होने एवं उत्पादों की दरें बाजार से अधिक होने के कारण योजना की समीक्षा खाद्य विभाग स्तर से किए जाने बाबत शासन सचिव, महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 06.01.2026 को बैठक आयोजित की जायेगी।

9. नॉन डीसीपी योजना

नॉन डीसीपी योजना अन्तर्गत प्रदेश में आरएमएस 2026–27 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेंहू खरीद हेतु जिला हनुमानगढ़ एवं श्रीगंगानगर में 15 खरीद केन्द्र प्रस्तावित किये गये है।

10.निगम के विगत छः वर्षो के वित्तीय परिणाम

क्र.स.	विवरण	वर्ष 2013–14	वर्ष 2014–15	वर्ष 2015–16	वर्ष 2016–17	वर्ष 2017–18	वर्ष 2018–19	वर्ष 2019–20
1	Profit before interest & Depreciation	944.25	1396.62	1598.07	701.72	449.39	213.02	121.96
2	Less: interest	छपस	688.15	638.5	30.27	8.97	11.92	3.85
3	Operational Profit/Loss	944.25	708.447	959.57	671.45	440.42	201.10	118.11
4	Less: Depreciation	40.71	60.87	17.49	14.63	18.33	14.20	8.76
5	Profit/Loss after Interest& Depreciattion	903.54	647.87	942.08	656.82	422.09	186.90	109.35
6	Profit/Loss for appropriation	504.63	515.02	566.35	351.31	247.50	86.90	60.25

वर्ष 2020–21 व अग्रिम वर्षो के अंकेक्षित लेखे तैयार नहीं है।

11. पॉस मशीन के रखरखाव का कार्य

राज्य सरकार के निर्देशानुसार निगम को पॉस मशीन के सालाना रखरखाव का कार्य भी आवंटित किया गया हैं। आदेशों की अनुपालना में 2 फर्मो को 26,737 पॉस मशीनों के रखरखाव का कार्य 5 वर्ष के लिए दिया गया है। मैसर्स कॉम्पेक्ट कम्प्यूटर, जयपुर को 16,042 पोस मशीनों के रखरखाव का आदेश दिया गया है, जिसकी राशि 79,66,56,629/– रू है। मैसर्स बालाजी इम्फोल्यूब को 10,695 पॉस मशीनों के रखरखाव का कार्य दिया गया है, जिसकी राशि 53,11,20,973/– रू है।

दोनो फर्मों द्वारा पहले से खराब हुई मशीनों को बदलते हुए प्रथम चार वर्षों में संपूर्ण मशीनें रिप्लेस की जानी है। दोनो फर्मों द्वारा माह सितंबर 2021 से रखरखाव का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।

फर्मों द्वारा रिपेयर व रिप्लेस की गई मशीनों का विवरण निम्नानुसार हैः–

- कुल मशीनें –26,737
- रिपेयर की गई मशीनें – 90,930
- राज्य की समस्त सक्रिय उचित मूल्य दुकानों पर नवीन 4जी मशीने प्रतिस्थापित कर दी गयी है।

12. राशन की दुकानों हेतु Electronic Weight Manchine and IRIS Machine का क्रय

माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2023–24 के बिन्दु संख्या 63 (Iv) के अनुसार " राशन की दुकानो कों Digital Weight Briges उपलब्ध कराकर उन्हें POS (Point Of Sale) मशीनों से जोड़ा जायेगा। इससे NFSA लाभार्थियों को उनके हक का पूरा राशन मिल सकेगा, की क्रियान्विति हेतु वित्त विभाग की आईडी संख्या 102301685 दिनांक 18.09.2023 के क्रम में पोस मशीनों की Electronic Weight Manchine and IRIS Machine से संयोजित किये जाने के लिए दोनो मशीनों के क्रय हेतु रूपये 63.00 करोड की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई। उक्त आदेशों की पालना में निगम द्वारा निविदा की प्रक्रिया पूर्ण करके दो फर्मों (मैसर्स बालाजी इन्फो ल्यूब, जोधपुर एवं मैसर्स कॉम्पेक्ट कम्प्यूटर एंड पेरिफेरल्स, जयपुर) को कार्यादेश दिनांक 05.10.2023 को जारी किया गया। उक्त कार्यादेश के अनुसार मैसर्स बालाजी इन्फोल्यूब, जोधपुर को 16042 Electronic Weight Machine एवं 14542 IRIS Machine के क्रय एवं रखरखाव का कार्य दिया गया है, जिसकी राशि 37,68,12,000/– रू. है। एवं मैसर्स कॉम्पेक्ट कम्प्यूटर एंड पेरिफेरल्स, जयपुर को 10695 Electronic Weight Machine एवं 9695 IRIS Machine के क्रय एवं रखरखाव का कार्य दिया गया है, जिसकी राशि 25,12,08,000/– रू0 है।

वर्तमान में ई–वेइंग मशीन व आयरिस स्केनर प्रोजेक्ट हेतु प्रगति निम्नानुसार हैः–

समस्त सक्रिय उचित मूल्य दुकानों पर ई–वेईंग मशीन व आयरिस स्केनर का पोस मशीनों से संयोजित कर स्थापित कर दिया गया है।

ई–वेइंग मशीन सम्बंधित प्राप्त 6753 शिकायतों मे से 6710 शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है।

आयरिस स्केनर मशीन से संबंधित प्राप्त 2876 शिकायतों मे से 2862 का निस्तारण किया जा चुका है।

★ ★ ★ ★ ★

जिले में अब तक 12 लाख 78 हजार 884 ने करवाई केवाईसी

बिना ई-केवाइसी के नहीं मिलेगा राशन और रसोई गैस सिलेंडर पर अनुदान

92.51 प्रतिशत लोगों ने करवाई ई-केवाइसी

ई-केवाइसी नहीं करवाई तो हटेगा नाम

546 सिलेंडर जब्त, 4 पकड़, वाहन व उपकरण सीज किए

जयपुर | डीएसओ प्रथम की टीम ने अवैध गैस रिफिलिंग कारोबार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दो अलग-अलग स्थानों से कुल 546 घरेलू व कॉमर्शियल सिलेंडर जब्त किए हैं। ऑपरेशन प्रवर्तन के तहत की गई इस कार्रवाई में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि रिफिलिंग में प्रयुक्त वाहन व उपकरण भी सीज किए हैं। जिला रसद अधिकारी प्रथम पियूषत चारण ने बताया कि सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए दो विशेष सतर्कता दल गठित किए। पहली कार्रवाई जगतपुरा के वार्ड-68 स्थित सत्यम रेजिडेंसी के पास की गई, यहां 441 कॉमर्शियल सिलेंडर बरामद हुए। जांच में एक ट्रक, पिकअप, कार सहित कमरे और खुले स्थान से बड़ी संख्या में भरे हुए सिलेंडर मिले। मौके से तीन आरोपी पकड़े गए। साथ ही मोबाइल फोन, भट्टी, रबर पाइप और रेगुलेटर जब्त किए। वहीं, दूसरी टीम ने सांगानेर के बाढ़ रामपुरा क्षेत्र में दबिश दी। यहां से 21 घरेलू और 84 कॉमर्शियल समेत कुल 105 सिलेंडर जब्त किए।

राजस्व अधिकारी भर्ती परीक्षा मामला

खाद्य विभाग ने जिले के 903 राशन डीलरों की पोस मशीनों को किया अपडेट

फर्जी डीलर नहीं बांट सकेंगे पोस मशीन से गेहूं, खुद की फिंगर से चलेगी, 100 मीटर एरिया में करेगी काम

डीलरों की मांग: मशीन में ओटीपी सिस्टम शुरू हो

डीएसओ बोले: खाद्य विभाग की पहल अच्छी, फर्जीवाड़ा नहीं हो सकेगा

भास्कर खास | अब डीलर खुद ही करेंगे राशन वितरण, पोस मशीन को भी आधार से लॉगिन किया

खाद्य सुरक्षा विभाग ने पोस मशीनों को अपडेट किया, डीलर के बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद राशन वितरण होगा

भास्कर संवाददाता | हनुमानगढ़

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन दुकानों पर किसी भी उपभोक्ता को योजना से लाभान्वित करने के लिए डीलर पोस (पाइंट ऑफ सेल) मशीन बिना अंगूठा निशानी के नहीं खोल सकेंगे। यह बदलाव हाल ही में रसद विभाग ने योजना को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए मशीनों को अपडेट करते हुए किया। इसके लिए 28 अक्टूबर से 2 नवंबर तक प्रदेशभर में पोस मशीनों को अपडेट करने की प्रक्रिया जारी थी। नई व्यवस्था पूरे प्रदेशभर में ही लागू की गई है। इसका मकसद राशन वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता लाना है। विभागीय जानकारी के अनुसार प्रत्येक डीलर की पोस मशीन उनके आधार कार्ड से लिंक की गई है। ताकि वितरण प्रक्रिया में किसी तरह की गड़बड़ी ना हो सके। अब तक जो पोस मशीन महज नंबरों के आधार पर खुल रही थी, वह अब डीलर की अंगूठा निशानी बिना नहीं खुलेगी। इसके चलते 637 से अधिक डीलर ने इन मशीनों को अपने आधार कार्ड से लिंक करवा लिया है।

पड़ताल: 100 मीटर के एरिया में ही संचालित हो सकेगी मशीन

राशन डीलरों के अनुसार पोस मशीन में जियो ट्रैकिंग होने वाली है। इससे मशीन को राशन दुकान के 100 मीटर के एरिया में ही संचालित किया जा सकेगा, इससे बाहर जाते ही मशीन काम करना बंद कर देगी। सिस्टम अच्छा है, लेकिन परेशानी यह होगी कि सरकार ने 80 आयु वर्ग वाले बुजुर्गों व दिव्यांगों को उनके घर पर राशन पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। अभी तक उनके घर पर मशीन ले जाकर उनका अंगूठा लगाकर राशन वितरण कर दिया जाता था, लेकिन अब मशीन बाहर ले जाते ही बंद हो जाएगी, ऐसे में उन उपभोक्ताओं को राशन कैसे मिलेगा इसकी स्पष्टता नहीं है। वहीं, डीलरों ने बताया कि विभाग ने फर्जीवाड़ा रोकने के लिए पोस मशीन को अपडेट किया है यह ठीक है। लेकिन, अगर किसी कारण से डीलर को बाहर जाना पड़ा या वह बीमार हो गया उसे कुछ दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा। या राशन डीलर बुजुर्ग है उसका अंगूठा नहीं लग पाया तो क्या राशन वितरण बंद रहेगा। ऐसे में राशन डीलरों ने मांग की कि मशीन में ओटीपी सिस्टम शुरू किया जाए, ताकि डीलर के नहीं होने पर उसके परिजन मशीन को ओपन कर राशन वितरण कर सकें।

ये होंगे फायदे: इससे पहले मशीन पर लॉग लगाकर ही काम चल जाता था, अब प्रक्रिया पूरी तरह बायोमेट्रिक होगी। आधार लिंक करने के बाद 24 घंटे में अपडेशन प्रक्रिया पूरी होगी। इस बदलाव से एक क्लिक में जानकारी मिल सकेगी कि किस डीलर ने कितने गेहूं का आवंटन, किन उपभोक्ताओं को किया, उसके पास मौके पर कितना स्टॉक है।

मुख्यालय स्तर से राशन वितरण में पारदर्शिता बरतने के लिए पोस मशीनों के सॉफ्टवेयर में बदलाव किया है। जिले के डीलर्स ने पोस मशीन को अपने आधार से लिंक करवा लिया है। गेहूं का वितरण भी शुरू हो चुका है। राशन डीलर्स को अगर कोई परेशानी आती है तो मुख्यालय स्तर से मार्गदर्शन लेंगे। उपभोक्ताओं को इस नई व्यवस्था से लाभ मिलेगा।
सुनील घोड़ेला, डीएसओ, हनुमानगढ़।

दैनिक नवज्योति

Chittorgarh Pratapgarh - 25 Dec 2025 - Page 6

उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों की जानकारी देना आवश्यक

राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर कलक्ट्रेट में जागरूकता कार्यक्रम

नेर. जैसलमेर. अनूपगढ़. फलौदी | पृष्ठ-2

रसद विभाग की टीम ने किया घर-घर सर्वे, पात्रों को राहत, अपात्रों को 'गिवअप' का संदेश

» छत्तरगढ़ की ग्राम पंचायत 1 केएम में दिनभर घर-घर जाकर किया सर्वे
» पात्र पाए गए परिवारों को खाद्य सुरक्षा योजना में शीघ्र शामिल करने के निर्देश
» घुमंतू एवं अर्ध-घुमंतू परिवारों को मौके पर खाद्य सुरक्षा योजना से जोड़ा

पात्र पाए गए परिवारों को खाद्य सुरक्षा योजना में शीघ्र शामिल करने के निर्देश

घुमंतू एवं अर्ध-घुमंतू परिवारों को मौके पर खाद्य सुरक्षा योजना से जोड़ा

दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक कांटे सत्यापित नहीं, 54 हजार का जुर्माना

एक सप्ताह में 23 प्रतिष्ठानों पर इलेक्ट्रोनिक की कांटों की जांच कर की गई कार्रवाई

जोधपुर @ पत्रिका. उपभोक्ता मामले विभाग और रसद विभाग की ओर से शहर में दुकानों पर माप-तौल, बाट और इलेक्ट्रॉनिक कांटों की जांच की गई। बीते दिनों 23 स्थानों पर दुकानों की जांच की गई, जहां सभी जगह इलेक्ट्रॉनिक कांटों की सत्यापन तिथि अवधिपार हो गई। इन प्रतिष्ठानों पर 54 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। जिला रसद अधिकारी अंजुम ताहिर सम्मा के निर्देशन में दीपावली पर्व के अवसर पर चलाए जा रहे ''कंज्यूमर केयर अभियान'' के तहत जिले में विभिन्न प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कई प्रतिष्ठानों पर विधिक माप विज्ञान अधिनियम की पालना नहीं पाई गई। कई दुकानों पर कांटा (तौल यंत्र) सत्यापित नहीं पाया गया। अभियान के दौरान उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा तथा बाजार में माप-तौल में पारदर्शिता सुनिश्चित करने का संदेश दिया गया। निरीक्षण दल में विधिक माप विज्ञान अधिकारी महेश चंद्र जांगिड़ और रसद विभाग के प्रवर्तन निरीक्षक राजकरण बारहठ शामिल रहे।

अब फर्जी डीलर नहीं दे पाएंगे राशन

पोस मशीनों को राशन डीलर के आधार से लॉगइन किया, अब जिले में होगा वितरण

भास्कर खास | जिले में वर्तमान में 8 लाख 94 हजार लोग खाद्य सुरक्षा में शामिल

अब पोस मशीन राशन डीलर के फिंगर से ही ओपन होगी, बंद हुई तो उसी अंगूठे से खुलेगी

सुविधा को लेकर बदलाव किया

चारा गोदाम की आड़ में गैस सप्लाई, 740 कॉमर्शियल

डीएसओ सिटी टीम ने टोंक रोड 12 मील पर दी दबिश

हाईकोर्ट में डीजीपी का स्पष्टीकरण

way forward

Standalone Annapurti (Grain ATM)

वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के अंतर्गत राज्य में तीन Standalone Annapurti (Grain ATM) यूनिट संस्थापित करने की दिशा में जयपुर, भरतपुर, बीकानेर जिलों का चयन किया गया है। विभाग द्वारा Grain ATM यूनिट्स को शीघ्र संस्थापित करवाये जाने की दिशा में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

Grain ATM संस्थापित होने से राशन वितरण प्रक्रिया आसान होने के साथ–साथ पारदर्शिता, सुरक्षा, सुविधा (24x7 अनाज उपलब्धता) सटीकता एवं गुणवत्ता में सुधार होगा।

ध्येय : खाद्य सुरक्षा, उपभोक्ता संरक्षण - संवर्द्धन

Be Aware

Be Safe

- आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 का क्रियान्वयन
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 का क्रियान्वयन
- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 का क्रियान्वयन
- विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 का क्रियान्वयन
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन एवं क्रियान्वयन
- न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खाद्यान्नों की खरीद
- उपभोक्ता संरक्षण हेतु प्रभावी प्रयास

मुद्रक : राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लिमिटेड, जयपुर